



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्री	— श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया
राज्य मंत्री	— श्री रामखेलावन पटेल
अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त	— श्री मनोज श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव एवं अपर विकास आयुक्त	— श्री सचिन सिन्हा
उप सचिव	— श्रीमती शिल्पा गुप्ता
उप सचिव	— श्रीमती नेहा मारव्या
मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	— श्री शशांक मिश्र
संचालक, पंचायतराज संचालनालय	— श्री बी.एस. जामोद
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्	— श्रीमती सूफिया फारुकी वली
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन	— श्री एल.एम. बेलवाल
संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	— श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला
राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन	— श्री अमरपाल सिंह
संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन	— श्रीमती निधि निवेदिता
राज्य समन्वयक, मध्यप्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्	— श्री दिलीप कुमार
संचालक, ग्रामीण रोजगार	— श्री दिलीप कुमार
प्रबंध संचालक, भोपाल हाट	— श्री दिलीप कुमार
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— श्री व्ही.के. श्रीवास्तव
संचालक, एम.जी.एस.आई.आर.डी.	— श्री संजय सराफ

खण्ड – एक

पंचायत
(पृष्ठ क्रमांक 3 से 15 तक)

खण्ड – दो

ग्रामीण विकास
(पृष्ठ क्रमांक 18 से 98 तक)

अनुक्रमणिका

खण्ड-1 पंचायत

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	स्थापना अनुभाग	3
2.	डीआरडीए अनुभाग	4
3.	पंचायत अनुभाग	5
4.	निर्माण	6
5.	बजट	7
6.	पंच-परमेश्वर	8
7.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	9
8.	सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)	15

खण्ड-2 ग्रामीण विकास

1.	विभागीय संरचना	18
2.	विभागीय जांच, नियुक्तियों, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण	19
3.	बजट	20
योजनाएं :		
4.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)	23
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.(MGNREGS-MP)	27
6.	सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	40
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	41
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	46
9.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G)	53
10.	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)	56
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास (PMKSY-WD)	61
12.	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (MDM)	64
13.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (RURBAN)	71
14.	भोपाल हाट	77
15.	संस्थान :	
	• महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान (MGSIRD & Panchayatraj)	79
	• मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI)	89

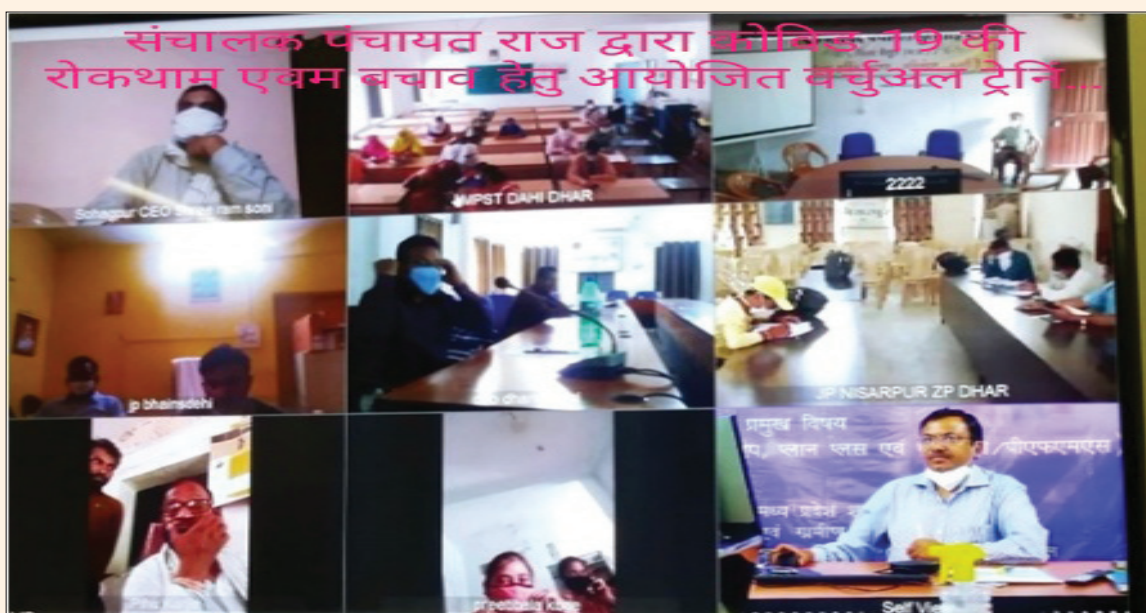
खण्ड – एक

पंचायत

पंचायत राज संचालनालय

स्थापना अनुभाग —

1. **संरचना** — पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक पंचायत राज संचालनालय का गठन दिनांक 06.12.2007 को किया जाकर दिनांक 01 अप्रैल 2008 से संचालित है।
2. **सामान्य जानकारी** — भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में पंचायत राज संस्थाओं के पंचम सामान्य निर्वाचन शांति पूर्ण ढंग से नियत अवधि में सम्पन्न कराये गये। जिसमें प्रदेश की 51 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 22811 ग्राम पंचायतों में 3.85 लाख पदाधिकारी निर्वाचित हुए।
3. **अधीनस्थ कार्यालय** — संचालनालय के अधीन जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित एवं संचालित है।
4. **संचालनालय के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण** — प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढी, 06 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, नौगांव, ग्वालियर एवं सिवनी), तथा 07 पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान (शिवपुरी, नौगांव, मुलताई, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं रीवा) संचालित हैं।
5. **दायित्व** — संचालनालय के मुख्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है :-
 1. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन।
 2. ग्रामीण अधोसंरचना का विकास।
 3. ग्रामों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।
 4. पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु करारोपण के लिए प्रोत्साहित करना।
 5. पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन, उन्मुखीकरण एवं तकनीकी-आधुनिकीकरण प्रशिक्षण।



डीआरडीए (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

प्रस्तावना — जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत संस्था के रूप में किया गया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 01.04.1999 से डी.आर.डी.ए प्रशा0 प्रारंभ करने के अनुक्रम में विभाग के आदेश क्र. 12749 दिनांक 24.09.1999 के द्वारा जिला पंचायत में डी.आर.डी.ए प्रकोष्ठ निर्मित किया गया है।

योजना का उद्देश्य— भारत शासन एवं राज्य शासन की विकास की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन करना है।

कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण मध्यप्रदेश (इकाई) जिला पंचायत।

मानव संसाधन संरचना — डीआरडीए अंतर्गत प्रदेश में 1848 पद स्वीकृत, 842 भरे, एवं 1006 पर रिक्त है। स्वीकृत पदों की संरचना निम्नानुसार है:—

- | | |
|--|----------------------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी | 1. वरिष्ठ लेखाधिकारी |
| 2. परियोजना अधिकारी | 2. लेखाधिकारी |
| 3. परियोजना अर्थशास्त्री | 3. लेखापाल |
| 4. सहा.परियोजना अधिकारी | |
| 5. तकनीकी सहायक | |
| 6. सहायक सांख्यिकी अधिकारी | |
| 7. सहा.ग्रेड-1 / सहा.अधीक्षक / मुख्य लिपिक | |
| 8. स्टेनोग्राफर / स्टेनो टायपिस्ट | |
| 9. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | |
| 10. सहा.ग्रेड-2 / सहा.ग्रेड-3 | |
| 11. वाहन चालक | |
| 12. भृत्य | |
| 13. चौकीदार | |

वित्तीय उपलब्धि :— डीआरडीए योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 व्यय प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रांश 809.08 लाख प्राप्त है तथा राज्यांश 539.39 लाख कुल राशि रुपये 1348.47 लाख प्राप्त हुई, जो व्यय की गई है। द्वितीय किस्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त होना है।



जनपद प्रथम ग्राम पंचायत स्तरीय GPDP नियोजन दल का ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के ...



राज्य स्तर से जिला स्तरीय GPDP उन्मुखीकरण सह समीक्षा बैठक

पंचायत अनुभाग :

1. योजना का नाम – पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–

भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करने एवं उन्हें जवाबदार बनाये जाने हेतु उक्त योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2018–19 के लिए वर्ष 2020 में प्रदेश की निम्नलिखित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित तालिका में दर्शाये अनुसार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है –

जिला पंचायत :

स.क्र.	जिला	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	नीमच	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	50.00 लाख
2	मंदसौर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	50.00 लाख

जनपद पंचायत :

स.क्र.	जनपद पंचायत	जिला पंचायत	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	आलोट	रतलाम	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	25.00 लाख
2	होशंगाबाद	होशंगाबाद	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	25.00 लाख

ग्राम पंचायत :

स.क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिले	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	बडबडिया	नीमच	नीमच	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	जनसंख्या के अनुसार रुपये 5.00 लाख से 15.00 लाख रुपये
2	मरामाधो	केसली	सागर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
3	तुमरी	केसली	सागर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
4	पोटलोट	सावेर	इंदौर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
5	बाबईखुर्द	केसला	होशंगाबाद	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
6	सुन्देल	धरमपुरी	धार	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	जनसंख्या के अनुसार रुपये 5.00 लाख से 15.00 लाख रुपये
7	पनावर चौहान	सीधी	सीधी	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
8	पाडलिया मारु	मंदसौर	मंदसौर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
9	केनसर	पिपलोदा	रतलाम	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
10	मुगली	आष्टा	सीहोर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
11	बरखेडी	पिपलोदा	रतलाम	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	

भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करने एवं उन्हें जवाबदार बनाये जाने हेतु नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम

सभा। इस योजना के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए वर्ष 2020 में प्रदेश की निम्नलिखित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित तालिका में दर्शाये अनुसार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है—

ग्राम पंचायत :

स.क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिले	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	सरखेडा	देवरी	सागर	नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार	10.00 लाख

रूरल स्पाशियल (Spatial) प्लानिंग:—

रूरल स्पाशियल प्लानिंग का उद्देश्य राजमार्गों के समीप के ग्रामों की आगामी 20 से 30 वर्षों की विकास योजना तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत विदिशा जिले की जनपद पंचायत लटेरी के ग्राम मुरवास एवं सीहोर जिले की जनपद पंचायत सीहोर के ग्राम बिल्किसगंज की योजना स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर— भोपाल एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के सहयोग से तैयार की गई है। इस योजना को तैयार करने में नवीनतम भू-सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक का उपयोग किया गया है।

स्वामित्व योजना :—

दिनांक 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना (SVAMITVA - Survey of Villages And Mapping using Improved Technology In Village Areas) का शुभारंभ किया गया। यह योजना राजस्व विभाग के माध्यम से प्रदेश के 20 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आबादी क्षेत्र में उनके द्वारा धारित भूमि के अधिकार अभिलेख प्रदान करना है। योजनान्तर्गत दिनांक 11.10.2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 51 ग्रामों के तथा दिनांक 16.01.2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 ग्रामों के भू-स्वामियों को अधिकार अभिलेख वितरित किये गये।

पंचायतराज संचालनालय अंतर्गत निर्माण कार्य

1. संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण आदि अधोसंरचना निर्माण संबंधी कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।
2. पंचायत राज संचालनालय द्वारा माह अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कुल 501 निर्माण कार्य (सामुदायिक भवन, सी.सी.रोड, नाली/गटर निर्माण, पुलिया निर्माण) लागत राशि रुपये 3951.66 लाख के स्वीकृत किये गये हैं।

—: बजट :—

म0प्र0शासन, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर अंतर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त मांग संख्या के स्थान पर मांग संख्या-62 एवं 53 के अंतर्गत वित्त विभाग विभाग में संचालित योजनाओं हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2020-2021

बजट

पंचायत सेक्टर

(राशि रुपये लाख में)

मांग संख्या	प्रावधान	जारी आवंटन (31 जनवरी-2021 की स्थिति में)
मांग संख्या-62	20044.30	15401.94
मांग संख्या-53	552146.16	289641.18
योग	572190.46	305043.12

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत विभाग में संचालित योजनाओं का योजनावार विवरण:-

स.क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान	31.01.2021 की स्थिति में आवंटन जारी (राशि लाख में)
1	2467-पंचायत संचालनालय	597.00	466.98
2	2468-पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण	80.78	73.64
3	2474-पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	19311.52	14817.32
4	4300-संजय गांधी युवा संस्थान पचमढ़ी को अनुदान	55.00	44.00
5	0647-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर0जी0एस0ए0)	10037.00	7981.63
6	1221-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	99600.03	0.00
7	2024-एम0पी0स्टेट टेक ई-पंचायत सोसायटी (एम0पी0स्टेप्स)	0.01	0.00
8	4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	19999.98	9931.59
9	5166-राष्ट्रीय पंचायतराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.01	0.00
10	5847-जला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	500.00	400.00
11	6086-अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	1000.00	0.00
12	6087-अनुरक्षण हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	1000.00	0.00
13	6093-पेयजल के लिए विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	3500.01	0.00
14	6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान	0.00	0.00

स.क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान	31.01.2021 की स्थिति में जारी आवंटन जारी (राशि लाख में)
15	6107-जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	400.00	399.31
16	6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	59738.14	50429.72
17	6602-स्थानीय निकायो/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	100.00	0.00
18	7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान(राज्य करो में हिस्सा) राज्य वित्त आयोग	32962.01	320.00
19	8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	732.42	72.42
20	8214-सचिवीय व्यवस्था	17600.00	17325.23
21	8391-त्रिस्तरीय पुरस्कार	0.03	0.00
22	8392-जिला पंच सम्मेलन	0.00	0.00
23	8393-पंचायत गजट	89.33	18.00
24	8775-प्रशासन योजना जिला स्तर	6000.00	3493.53
25	8816-ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण	87.19	69.75
26	9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	298800.00	199200.00
योग		572190.46	305043.12

पंच परमेश्वर योजना

पंच परमेश्वर योजनांतर्गत राशि के उपयोग हेतु विभाग द्वारा प्राथमिकतायें एवं सीमायें निर्धारित की हैं। पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायतों को 3822.00 करोड़ जारी किये गये हैं, जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा निर्धारित नीति अनुसार किया जा रहा है।

ऑनलाईन कियान्वयन :-

पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14वें/15वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से ऑनलाईन व्यय की जाती है। भुगतान FTO सरपंच (प्रधान) एवं सचिव के DSC द्वारा ऑथेंटिकेट होते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में पंचायतों द्वारा राशि रुपये 2604.74 करोड़ का व्यय किया है।

वर्ष 2020-21

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2020-21 से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय अनुदान की राशि के उपयोग हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 50 प्रतिशत टाईड ग्रांट एवं 50 प्रतिशत अनटाईड ग्रांट अंतर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों को सम्मिलित करते हुए विकास योजना GPDP तैयार की है।

- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2020–21 की कार्य योजना जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा तैयार की जा रही है।
- समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा “सबकी योजना सबका विकास” अंतर्गत वर्ष 2020–21 की कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपलब्धि—

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा म.प्र. को “ई-पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा पंचायतों में पारदर्शी रूप से प्रभावी उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु तीन श्रेणियों में ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिसमें समस्त राज्य अपना नामांकन करते हैं। प्रदेश की पंचायतों द्वारा योजनाओं के ऑनलाईन क्रियांवयन तथा ऑनलाईन आय-व्यय हेतु भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न ऑनलाईन एप्लीकेशन पी.एफ.एम.एस., ई-ग्राम स्वराज, लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री आदि के साथ-साथ विभागीय “पंचायत दर्पण” पोर्टल का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र वित्त पोषित योजना है जो कि पूर्व में योजना आरजीपीएसए योजना के नाम से लागू थी जिसको वर्ष 2018–19 में पुनर्गठित की जाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के रूप में क्रियान्वित है।

योजना का प्रकार— राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए केन्द्र वित्त पोषित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि एवं 40 प्रतिशत राज्यांश राशि का प्रावधान है। जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों एवं कार्यकारी अमले के प्रशिक्षण 13 विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन पेसा अनुसूचित क्षेत्र विशेष सहायता मद, चयनित ग्राम पंचायतों में सीएससी भवन का निर्माण उन्नयन एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण कर कार्य कराने का प्रावधान है।

योजना का उद्देश्य— योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। योजना के अन्य उद्देश्य निम्न है।

- 1— योजनांतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत संस्थागत विकास करना है।
- 2— पेसा अनुसूचित क्षेत्र के जिलो जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।
- 3— पेसा एवं आकांक्षी जिलों में ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं हेण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु अमला उपलब्ध कराना।
- 4— ग्राम पंचायतों में ई-इनेवलमेंट की गतिविधियों का क्रियान्वयन, कम्यूनिटी सर्विस सेन्टर, पंचायत लर्निंग सेन्टर की स्थापना करना।
- 5— विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का संस्थागत संरचनागत विकास एवं उन्नयन करना।
- 6— आरजीएसए योजनांतर्गत आजीविका मूलक एवं नवाचार प्रकल्पों का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

भारत शासन से वर्ष 2020-21 अनुमोदित कार्य योजना प्राप्त आवंटन

(राशि करोड़ में)

स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्राप्त	व्यय	उपलब्धि का %
2020-21	320.80	47.42	31.61	79.03	71.68	90.69

विशेष उपलब्धियां :-

- 1- **वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रशिक्षण**— त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि/पंचायत समितियों एवं कार्यकारी अमले को विभिन्न ई गर्वनेन्स पीएफएमएसए ई-ग्राम स्वराज जीपीडीपी एवं कोविड से बचाव हेतु जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तरीय ऑनलाईन मोड/दूरस्थ पद्धति से लगभग 6310109 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिये गये हैं।
- 2- **“सबकी योजना सबका विकास” समय सीमा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का प्लान अपलोड**— भारत शासन के निर्देशानुसार ई ग्राम स्वराज पोर्टल/मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश की 22811 ग्राम पंचायतों के द्वारा वर्ष 2021-22 की तैयार जीपीडीपी में 15वें वित्त आयोग के नवीन निर्देशों के तहत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध 50 प्रतिशत राशि का उपयोग जल संवर्धन एवं स्वच्छता के कार्यों में किये जाने हेतु संशोधित कार्ययोजना का निर्माण 22811 ग्राम पंचायतों में किया जाकर जानकारी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
- 2.1 **राज्य स्तरीय जीपीडीपी अंतर्विभागीय समन्वयन बैठक सह उन्मुखीकरण प्रशिक्षण** :- राज्य स्तर से अपरम मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ साथ 51 जिलों के जिला अधिकारियों एवं लाईन विभाग के अधिकारियों के साथ जीपीडीपी जन अभियान अंतर्गत 18 लाईन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाकर समग्र जीपीडीपी निर्माण हेतु अंतर्विभागीय समन्वयन समिति की बैठक सह उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया।



- 2.2 **संस्थागत प्रशिक्षण**— जीपीडीपी प्लान प्लस, ई-ग्राम स्वराज, प्रिया साफ्ट का तकनीकी प्रशिक्षण— लगभग 3026 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 22811 ग्राम पंचायतों के सचिव ग्राम रोजगार सहायक एवं 313 जनपदों के तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
3. **पेसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने एवं पेसा एक्ट की गतिविधियों का क्रियान्वयन**— अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने एवं पेसा एक्ट की गतिविधियों एवं प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विशेष पैकेज के तहत पेसा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा मोबेलाईजर नियुक्त करने हेतु आदेश कार्यालयीन पत्र क्रमांक 783 दिनांक 20.01.2020 एवं

नवीन पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.2020 द्वारा जारी किये गये हैं। 5221 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा मोबलाइजर्स चयन एवं पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलित है, मोबलाइजर्स की पदस्थापना उपरांत पेसा क्षेत्र की 89 जनपदों में पेसा समन्वयकों की पदस्थापना की जावेगी।

4- योजनातर्गत अन्य प्रावधान (2020-21 की कार्ययोजना अनुसार)

योजना अंतर्गत कुल 08 अकांक्षी जिलों की ग्राम पंचायतों के संरचनागत विकास हेतु सामुदायिक भवन, कॉमन सर्विस सेन्टर की ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत 300 ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेंटर का चयन किया जा चुका है एवं 400 ग्राम पंचायतों का वर्ष 2020-21 में चयन किया जा रहा है, जहां पर कामन सर्विस सेन्टर का भवन निर्माण कर पंचायत कार्यालय में को-लोकेट कर स्थापित किया जावेगा।

- 5- कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु पंचायतों के साथ आनलाईन टेक्नालाजी के माध्यम संवाद एवं प्रशिक्षण – कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों एवं स्व सहायता समूहों के समन्वय से इस बीमारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु मुख्यालय स्तर से यूनिसेफ मध्यप्रदेश के सहयोग से सभी जिलों के ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सचिवों एवं अन्य सहकर्मियों तथा स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ ऑन लाईन के माध्यम से कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों की जागरूकता बचाव एवं रोकथाम के उपाय सुरक्षा एवं मापदण्ड शहरों से लौटकर आने वाले मजदूरों के लिये किये जाने वाले जरूरी व्यवस्थाएँ आदि के उपर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 370393 प्रतिभागियों ने प्रदेश में भाग लिया, जिसके तारतम्य में विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से कोविड-19 की प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का निर्माण भी किया गया है जिसका उपयोग निकट भविष्य में क्रमिक रूप से ऑन लाईन/आफ लाईन प्रशिक्षण आयोजित किया जाकर कोविड-19 आपदा से मेनुअल जारी किया गया।



6. मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर का निर्माण- भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशों के अनुक्रम में वर्ष 2020-21 में एनआईआरडी पीआर हैदराबाद के सहयोग से देश भर में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर डवलपमेंट प्रोजेक्ट लान्च किया जा रहा है जिसके तारतम्य में प्रदेश के 22 चयनित अकांक्षी/पेसा जिलों में इस प्रोजेक्ट संबंधित एक क्लस्टर का चयन किया जाना है जो कि अन्त्योदय ब्लाक/रिसोर्स इंटेन्सिव ब्लाक के रूप में पूर्व से चयनित है एवं चयनित क्लस्टर की कुल जनसंख्या (सभी चयनित ग्राम पंचायतों की जनसंख्या मिलाकर) 10 हजार से 25 हजार के बीच होनी चाहिये, इन चयनित मापदण्डों के आधार पर प्रदेश के 22 जिलों की 22 जीपी क्लस्टर का चयन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), लाईवलीहुड (फार्म बेस्ड/स्किल एवं आर्ट-क्राफ्ट बेस्ड), एसएचजी पीआरआई कन्वर्जेंस (सशक्त स्थानीय स्वशासन ईकाई) को दृष्टिगत मॉडल जीपी क्लस्टर निर्माण हेतु चयन किया गया है जिसमें इन्टेंसिव रूप

से जीपीडीपी का निर्माण की गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन रणनीति को सृष्टि किया जावेगा।

7. **पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ पुस्तिका का निर्माण**— वर्ष 2021 में होने वाले पंचायतों के चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं सहायक स्टाफ, मास्टर ट्रेनरों आदि के मूलभूत प्रशिक्षण पठन पाठन हेतु संदर्भ पुस्तिका का निर्माण (वाल्यूम 1 एवं वाल्यूम 2) ट्रेनरों की ट्रेनिंग हेतु हेण्डबुक (वाल्यूम 1 एवं 2) एवं आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया, जिसके सहायता से संपादित की जानी है। अतः इन सभी प्रक्रियाओं, अध्ययनों, आंकलनों, इत्यादि से निकले वस्तु स्थिति को बताते हुए अध्ययन प्रतिवेदन एवं रणनीतिक प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है, जिसके आधार पर चुनाव के उपरांत पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित पदाधिकारियों का मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जावेगा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्था के सहयोग से किया गया है।

8. **कोविड-19 की रोकथाम, बचाव और नियंत्रण संबंधी सूचना शिक्षा संचार की गतिविधियों का पंचायत राज संचालनालय म.प्र. द्वारा किये गये मुख्य कार्य—**

पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा कोविड-19 की रोकथाम बचाव एवं नियंत्रण के संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं हेतु 14/15वे वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना एवं विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों के माध्यम से पंचायत स्तर पर विभिन्न सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां निम्नानुसार कार्य किये गये:—

9. **प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार गतिविधियां अंतर्गत आन लाईन कोविड बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रशिक्षणों/वीसी एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन:—**

- 1— माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की समस्त पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ कोविड-19 को लेकर की जा रही सामुदायिक तैयारियों पर चर्चा की। पंचायत मुख्यालय द्वारा इस समीक्षा के अंतर्गत निकलकर आई आगामी रणनीति पर कार्यवाही की जाकर पीआरआई एसएचजी का कोविड-19 बचाव रोकथाम नियंत्रण पर प्रशिक्षण दिया गया।



- 2— संचालनालय स्तर से प्रदेश की समस्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी अधिकारी एवं कार्यकारी अमलों के साथ साथ स्व सहायता समूह ग्राम संगठन एवं सामुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों क्रमबद्ध रूप से निर्धारित ट्रेनिंग कैलेंडर अनुसार दिनांक 21 जुलाई 2020 से 07 अगस्त 2020 तक आनलाईन वी.सी./वर्चुअल क्लास के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु ट्रेनिंग श्रृंखला आयोजित की गई। उक्त प्रशिक्षण आरजीएसए पीएमयू यूनिसेफ एवं टीआरआईएफ जीपीडीपी सेल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण की उपलब्धि निम्नानुसार रही—

क्र.	शामिल जिले/जनपद/जीपी संख्या	शामिल प्रतिभागियों का प्रकार
1.	51 जिले	एसीइओ, एपीईओ, पीओ, मनरेगा के डाटा मैनेजर, उत्कृष्ट पंचायतों के प्रधान, एवं स्व सहायता समूह के सदस्य
2	313 जनपदें	सीईओ जनपद पंचायत, पंचायत इंस्पेक्टर, एनआरईजीएस, डाटा मैनेजर, बीपीएम, एमपीएसआरएलएम, ग्राम पंचायत प्रधान, एसएचजी मेम्बर
3	22812 ग्राम पंचायतें	ग्राम पंचायत प्रधान, एसएचजी मेम्बर, एवं पंच, एवं अन्य ग्रामीणजन
4	कुल प्रतिभागी	370393 प्रतिभागी उपरोक्त सभी मिलाकर

विशेष उपलब्धि— म.प्र. में पहली बार 3.70 लाख प्रतिभागियों को वर्चुअल क्लास के माध्यम से सीधे ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षित किया गया।

- प्रचार प्रसार गतिविधि पंचायत राज संचालनालय स्तर पर स्टेट नालेज रिसोर्स सेन्टर एवं लाइब्रेरी की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत कोविड संबंधित सूचना आईईसी मटेरियल, वीसीसी प्रशिक्षण, एवं अन्य राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिसेस से संबंधित मटेरियल का संकलन एवं प्रसारण साफ्ट कापी के माध्यम से किया गया।
- आरजीएसए योजना अंतर्गत भारत शासन के निर्देश अनुसार सभी ग्राम पंचायतों/जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों एवं प्रशिक्षण संसंस्थाओं को पीएफएमएस अंतर्गत पंजीकृत कर मेपिंग की जा रही है जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।
- कोविड संवेदी जीपीडीपी हेतु यूनिसेफ एवं टीआरआईएफ के समन्वयन पीएमयू आरजीएसए अंतर्गत सहयोग SUTRA की स्थापना की गई।
- ग्रामीण युवाओं को अन्य प्रेरित स्वयं सेवकों का वाट्सअप ग्रुप निर्माण व सूचनाओं का शीघ्र आदान प्रदान
- प्रचार प्रसार गतिविधि अंतर्गत कोविड संरक्षण एवं बचाव की जनजागरण, जीपीडीपी जन अभियान एवं वीपीआरपी निर्माण हेतु आईईसी अंतर्गत पीपीटी/पोस्टर बेनर एवं प्रचार सामग्री विकसित की जा रही है, जिसको सभी पंचायतों में वितरित किया जा रहा है।



पंचायत राज संचालनालय द्वारा टीआरआईएफ संस्था के साथ चलाये गये पायलेट प्रोजेक्ट के तहत 10 जनपद पंचायतों में निम्नानुसार विशिष्ट कार्य सफलतापूर्वक किये गये जिनका रेप्लीकेशन अन्य जिलों द्वारा किया जा रहा है। पायलेट प्रोजेक्ट अंतर्गत:-

- जनपद पंचायत सोन्डवा जिला अलीराजपुर द्वारा टीआरआईएफ संस्था के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के समय में प्राइवेट जल एम्बूलेंस के माध्यम से नान कोविड रोगियों को स्वांस्थ केन्द्रों तक पहुंचाया गया।



- राजपुर, पेटलावद, थाण्डला, अमरपुर जनपदों द्वारा आजीविका मिशन के समूहों और टीआरआईएफ संस्था द्वारा मिलकर प्राइवेट एम्बूलेंस के माध्यम से नान कोविड रोगियों को स्वांस्थ केन्द्रों तक पहुंचाया गया।
- समस्त पंचायतों में मुख्य संदेशों को दीवार लेखन का कार्य किया गया, इस हेतु पंचायतों द्वारा आवश्यक सामग्री समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराई गई।



- राजपुर, मनावर, सोण्डवा, अमरपुर, समनापुर, जनपदों में कोरोना रोकथाम रथ का संचालन के माध्यम से हाथ धुलाई, मास्क का उपयोग एवं शासन की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रचार प्रसार।
- झाबुआ एवं धार जिलों में राहत शिविरों में खाद्य सामग्री का प्रदाय।
- पेटलावद, थाण्डला, जनपद में माइग्रेशन सेल की स्थापना की गई।

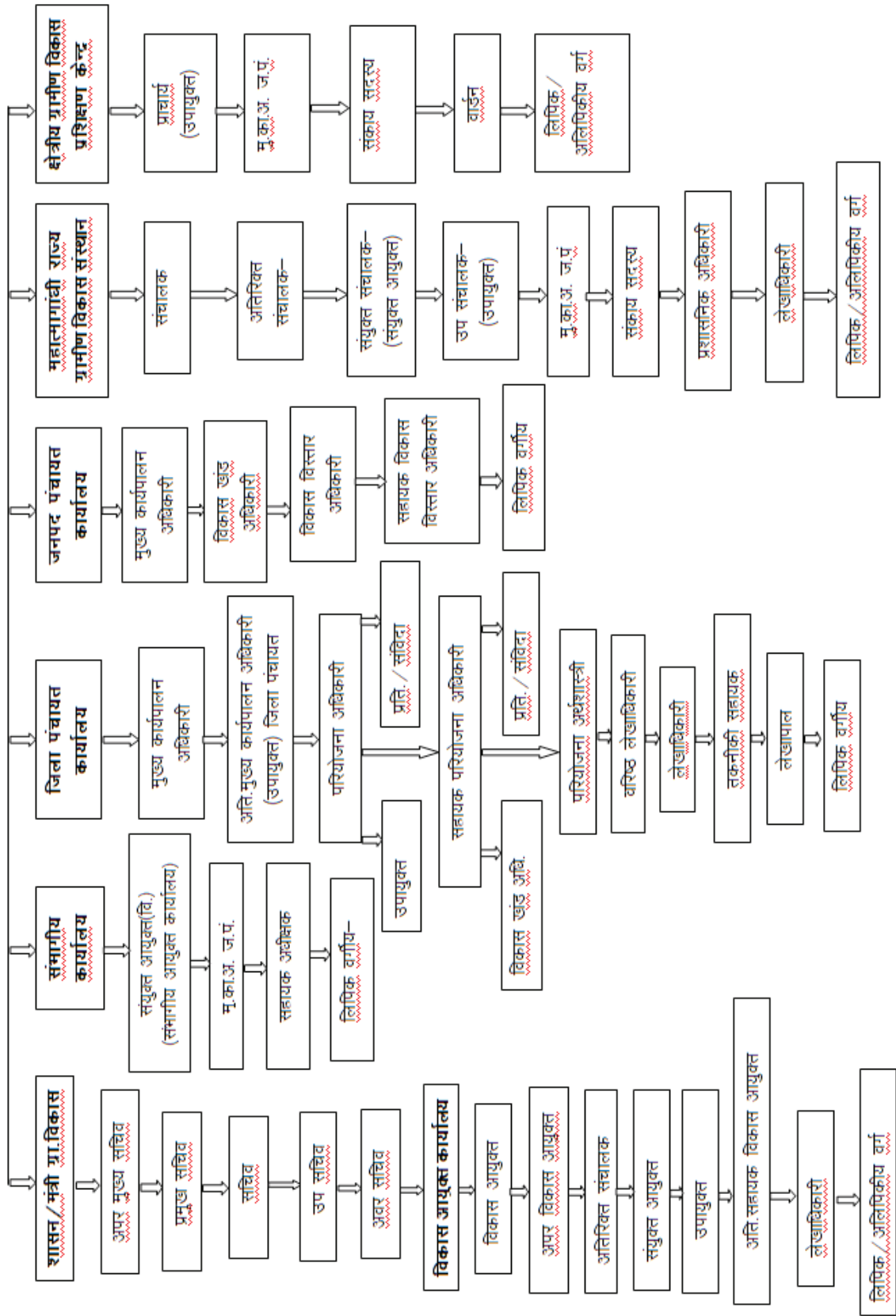
सांसद आदर्श ग्राम योजना

1. **योजना का नाम** — सांसद आदर्श ग्राम योजना।
2. **प्रस्तावना**— सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना "स्वराज" को "सुराज" में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।
3. **उद्देश्य**
 - i. निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
 - ii. आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा —
 1. उन्नत बुनियादी सुविधाएँ
 2. अधिकतम उत्पादकता
 3. बेहतर मानव विकास
 4. बेहतर आजीविका के अवसर
 5. असमानता में कमी
 6. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना
 7. वृहत सामाजिक एकजुटता
 8. समृद्ध सामाजिक पूंजी
 - iii. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
 - iv. निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
4. **कार्यक्षेत्र** — चयनित ग्राम पंचायत
5. **भौतिक उपलब्धि** — वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह जनवरी 2021 तक 05 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

खण्ड – दो

ग्रामीण विकास

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय संरचना



विभागीय जाँच, नियुक्तियाँ, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण (विकास आयुक्त कार्यालय अंतर्गत राज्य स्तर का अमला)

1/ स्थानांतरण (01 अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक)

क्र.	पदनाम	स्थानांतरणों की संख्या	संशोधन	निरस्त	पदस्थापना
1	उपायुक्त (वि.)	23	02	00	00
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं.	86	05	06	00
3	विकास खंड अधिकारी	57	03	03	00
4	विकास विस्तार अधिकारी	1	1	00	00
5	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4	3	1	00

2/ नियुक्तियाँ

- | | | |
|---|---|------|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत | — | नहीं |
| (2) विकास खंड अधिकारी | — | नहीं |

3/ विभागीय जाँच

(मुख्यालय स्तर पर)

- | | | |
|---|---|----|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत | — | 00 |
| (2) विकास खंड अधिकारी | — | 00 |

4/ न्यायालयीन प्रकरण

(मुख्यालय स्तर पर) कुल 142 न्यायालयीन प्रकरण है।

- (1) रिट पिटीशन (WP) के कुल 142 लंबित न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें से 124 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत।
- (2) अवमानना (CP) प्रकरण के कुल 10 न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें 10 प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत।

वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान एवं दिनांक 31.01.2021 तक व्यय दर्शाने वाला पत्रक
ग्रामीण विकास विभाग-5802

(राशि रुपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय/आवंटित राशि दिनांक 31/01/21 तक)
1	2	3	4	5	6
	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें				
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (60:40)	53	6836	45500.00	36400.00
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (60:40)	53	5198	375148.52	199999.99
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (75:25)	53	6923	300000.00	239680.12
4	निर्मल भारत अभियान (60:40)	53	5206	42330.08	20000.00
5	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (60:40)	53	6931	100067.00	65089.63
	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किचिन शेड मरम्मत एवं किचिन डिवाइसेज रिप्लेसमेंट (60:40)	53	'0656	2552.23	0.00
	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन शेड) (60:40)	53	6099	6100.00	0.00
	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन) (100%)	53	7886	5000.00	3919.93
	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन डिवाइजेज) (100%)	53	'0656	447.77	0.00
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (60:40)	53	5770	20000.00	14289.67
7	नीरांचल परियोजना (60:40)	53	7466	0.00	0.00
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (60:40)	30	7467	252500.00	148419.46
9	'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (60:40)	53	0660	5626.00	2000.00
	योग - केन्द्र प्रवर्तित योजनायें			1155271.60	729798.80

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना कमांक	वर्ष 2019.20 का व्यय	वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि दिनांक 31/01/21 तक)
1	2	3	4	5	5	6
	राज्य स्तरीय योजना					
1	मुख्य मंत्री अंत्योदय आवास योजना	53	5131	0.00	0.02	0.00
2	म.प्र.ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	30	5129	20000.00	10000.00	4000.00
3	ग्रामीण सड़क विकास प्राधि. (अनुरक्षण)	30	9216	26710.36	25072.44	19006.08
4	प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित सड़को का नवीनीकरण व उन्नयन (अनुरक्षण मद) (नवीन)	30	9216	15000.00	15000.00	15000.00
5	सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1033, 1166, 1214, 1032, 6550, 7300, 3926, 3927, 6446)	30		15684.87	16726.81	12075.22
6	राज्य स्तर का अमला	30	8774	198.83	0.00	0.00
7	भू-जल प्रबंधन संस्थान (वाल्मी)	30	8711	640.15	640.00	512.00
8	आरजीएम परिषद	30	5568	210.96	211.00	168.80
9	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दुग्ध प्रदाय योजना	53	1329	4443.08	4500.00	3600.00
10	म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद	30	6930	380.46	198.14	198.14
11	राज्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यो.	53	5127	412.95	500.00	0.00
12	समन्वित आजीविका कार्यक्रम	53	5484	0.00	0.00	0.00
13	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	30	5565	160.04	160.00	128.00
14	मध्याह्न भोजन परिषद	30	5566	58.19	80.00	64.00
15	(बुंदेलखंड पैकेज) अति. केन्द्रीय सहायता	61	6109	0.00	0.01	0.00
16	मुख्यमंत्री आवास मिशन	30/53	6255	42137.00	42600.00	29108.00
17	विकास भवन (WDDF)	30	7251	371.69	1000.00	200.97
18	मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना	53	7571	640.00	160.00	160.00
19	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु विलंबित मजदूरी भुगतान (नवीन)	30	2368	305.53	181.87	145.50
20	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	30	5129	0.00	0.03	0.00

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना कमांक	वर्ष 2019.20 का व्यय	वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि दिनांक 31/01/21 तक)
1	2	3	4	5	5	6
21	रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन कार्यक्रम	53	2372	0.00	0.01	0.00
22	ग्रामीण पथ व्यवसाई उत्थान (नवीन)	53	9856	0.00	500.00	400.00
23	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (विदेशी सहायता)	59	0654	112533.60	113128.00	29415.00
	योग (राज्य स्तर)			239887.72	230658.33	114181.70
	महायोग			239892.72	230663.33	114187.70
	प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-5803					
1	मुख्यमंत्री ग्रा. सड़क एवं अवसंरचना योजना	30&53	6084	14801.94	13600.00	9647.04
2	तालाबो का उन्नयनीकरण	30	7252	0.00	0.01	0.00
3	मुख्य मंत्री सरोवर योजना	30	9674	0.00	0.01	0.00
4	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	30	1208	17612.33	19182.05	14467.77
	प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-5803-योग			32414.26	32782.07	24114.81
	महायोग (5802+5803)			272306.98	263445.40	138302.51

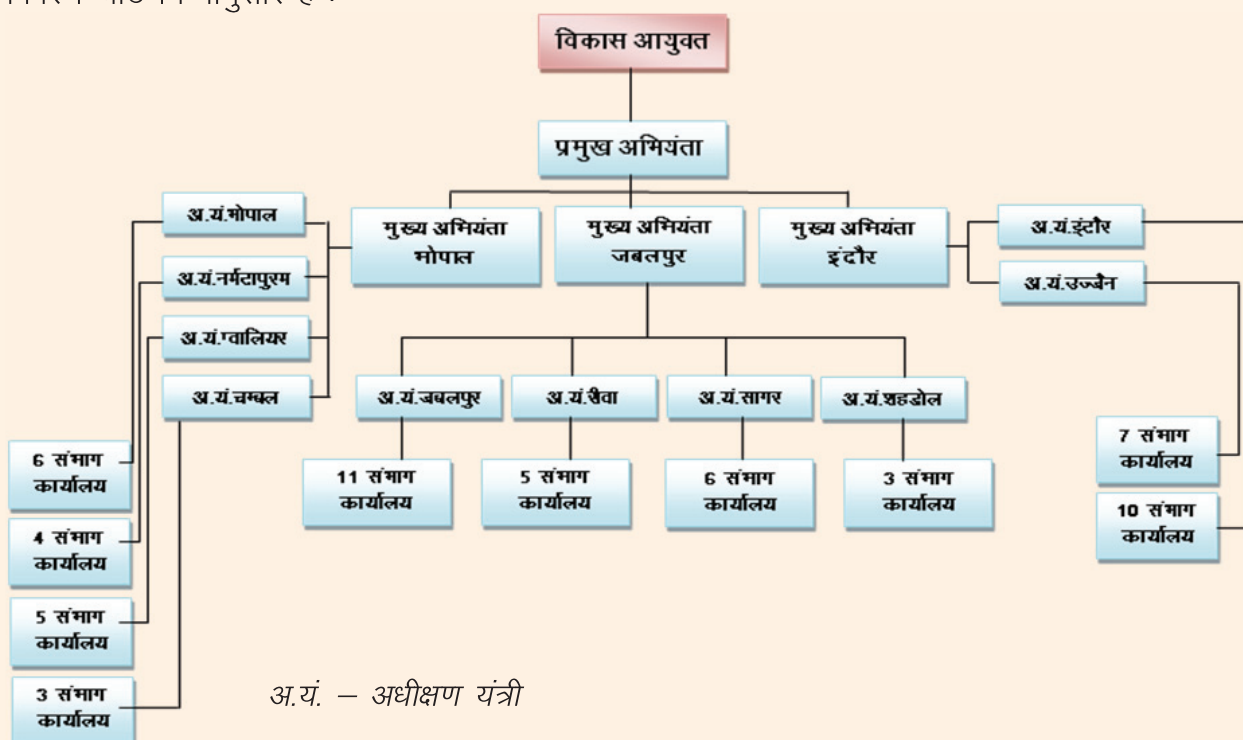
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना :

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तकनीकी एवं निर्माण प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रु. 15 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से सीधे संपादित किये जाते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इस प्रकार दो मुख्य दायित्व हैं:

- प्रथम दायित्व के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण का कार्य।
- द्वितीय दायित्व के रूप में विभिन्न विभागों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधोसंरचना के कार्यों का क्रियान्वयन।

प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत है। इन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो कि अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत है। जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। इन 60 संभागीय कार्यालय के अंतर्गत 182 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। जनपदों में एवं उपसंभागीय कार्यालयों हेतु 643 सहायक यंत्रियों के पद निर्मित हैं। जनपद पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मिलाकर 1459 उपयंत्रियों के पद निर्मित हैं। विभाग की प्रशासनिक संरचना का विवरण चार्ट निम्नानुसार है :-



ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा संपादित किये जा रहे निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है :-

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन ने द्वारा सार्वभौमिक सड़क सम्पर्कता की ओर कदम बढ़ाते हुए गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई।



कार्य का स्वरूप :-

प्रदेश के समस्त 52 जिलों में 8713 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिए 19708 कि.मी. लंबाई की 8517 सड़कों के निर्माण की कार्य योजना स्वीकृत की गई। योजना अंतर्गत पुल-पुलियों सहित सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :-

योजनान्तर्गत जनवरी, 2021 तक 8128 सड़कें लंबाई 18711 कि.मी. पूर्ण की गई, पूर्ण सड़कों से 8284 ग्राम लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक 128 सड़कें, लंबाई 349 कि.मी. पूर्ण की जाकर रु. 100.00 करोड़ का व्यय किया गया है।

2. विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर का निर्माण :-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले भोपाल में स्थित विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों एवं कार्यालयों को एक ही भवन में स्थापित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भोपाल में "विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर" भवन का निर्माण कार्य किया जावे।

प्रस्तावित भवन



वर्तमान चित्र



शासन ने उक्त भवन के लिए भोपाल में अरेरा हिल्स पर लगभग 2.00 एकड़ भूमि पुराने जेल भवन के सामने उपलब्ध कराई गई है। इस भवन के निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा रु. 53.38 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.05.2012 को प्रदान की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए वास्तुविद सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था ई.पी.सी.ओ. (एफ्को) द्वारा प्रदान की गई हैं। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है जिस पर जनवरी, 2021 तक राशि रु. 53.10 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

3. मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना :-

योजना अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गिरते हुए जल स्तर को उठाने एवं निस्तार की सुविधाओं को

उपलब्ध कराने हेतु तालाबों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तालाबों की उपयोगिता एवं जल संवर्धन के महत्व के दृष्टिगत उपयुक्त स्थलों पर बहुउद्देशीय ग्राम सरोवरों का निर्माण किया जावेगा। तालाबों के साथ घाट निर्माण का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। कार्य संपादन हेतु प्रारंभिक तैयारी के रूप में स्थलों का चिन्हांकन किया जा चुका है। इन चिन्हित स्थानों पर विस्तृत सर्वे उपरांत कार्यों के लगभग 450 डीपीआर तैयार किये गये हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 तक 246 तालाबों की प्रशासकीय स्वीकृति पंचायती राज संचालनालय द्वारा रु. 280.78 करोड़ की जारी गई है। जनवरी, 2021 तक 66 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।



सरोवर निर्माण तनाजा जिला धार
लंबाई — 230 मीटर, हाईट — 26.20 मीटर, सिंचाई क्षमता 85 हेक्टेयर
व्यय रु. 210.54 लाख

4. टेक होम राशन संयंत्र

प्रदेश के 7 जिलों में टेक होम राशन संयंत्र क्रमशः धार, देवास, मण्डला, रीवा, सागर, शिवपुरी में 2500 मैट्रिक टन एवं होशंगाबाद में 600 मैट्रिक टन के संयंत्र का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराया गया है।

उक्त कार्य वर्ष 2018-19 में राशि रु. 62.64 करोड़ के स्वीकृत किये गये। समस्त सातों कार्य पूर्ण कराए गए हैं। जनवरी, 2021 तक रु. 58.09 करोड़ व्यय किया गया है।

टेक होम राशन संयंत्र जिला सागर



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश

यह योजना भारत सरकार द्वारा “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005” के तहत संचालित है।

योजना का उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को संपूर्ण वित्त वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा करना।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवारों को 150 दिवस काम मूलक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन।

योजना के पात्र :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्य।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया :

- इच्छुक परिवारों का ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना होगा।
- पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी।
- जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

योजना के तहत मजदूरी :

- केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत “जितना काम उतना दाम” के आधार पर अधिकतम 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्तमान में 190 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दर (01 अप्रैल 2020 से) प्रभावशील है। पुरुष एवं महिला की मजदूरी दर समान है।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद :

राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं योजना के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी हेतु मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दिनांक 18.01.2006 को पंजीकृत की गई है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद् अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन, संचालन और मूल्यांकन के लिए तीन समितियां गठित की गई हैं।

- सामान्य सभा
- सशक्त समिति
- कार्यकारिणी समिति

सामान्य सभा :- अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार तैयार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. की कंडिका 1.6.1 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामान्य सभा गठित की गई है।

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की राज्य स्तरीय सामान्य सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे:-

सामान्य सभा



अध्यक्ष

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन



उपाध्यक्ष

मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास



पदेन सदस्य

मंत्री—वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन, उपाध्यक्ष—राज्य योजना मण्डल, मुख्य सचिव—मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव—वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन



सदस्य सचिव

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास



सदस्य

आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद



नामांकित सदस्य

राज्य शासन द्वारा नामांकित 6 अशासकीय सदस्य (कम से कम 2 महिलाएँ)
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि—1, अनु.जाति—1, अनु.जनजाति—1, अन्य
पिछड़ा वर्ग—1, अल्पसंख्यक—1, गैर शासकीय संगठन—1 का प्रतिनिधि



सशक्त समिति : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. के प्रावधान क्रमांक 1.6.4 के अनुसार परिषद् की राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय सशक्त समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :-

सशक्त समिति



अध्यक्ष

मुख्य सचिव



सदस्य

कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव—वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना विभाग, आयुक्त मनरेगा, आयुक्त जनसंपर्क, आयुक्त/संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय, केन्द्र शासन द्वारा नामांकित प्रतिनिधि



सदस्य सचिव

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

कार्यकारिणी समिति : म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 960/एनआर-2/एमजीएनआरईजीएस/भोपाल, दिनांक 01.02.2013 द्वारा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। यह समिति सामान्य सभा एवं सशक्त समिति के अतिरिक्त है, जिसका गठन योजना के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय एवं अन्य विभागीय योजनाओं में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया है।

परिषद की एक राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

कार्यकारिणी समिति



अध्यक्ष

मंत्री-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



उपाध्यक्ष एवं पदेन सदस्य

राज्य मंत्री-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



सदस्य

प्रमुख सचिव— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, **सचिव**— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, **आयुक्त**— पंचायत, **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**—म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, **संचालक**— राजीवगांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, **संचालक**—ग्रामीण रोजगार, **परियोजना समन्वयक**— इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना (DPIP), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), **संचालक**— महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, **संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)**— मनरेगा, **संचालक**— जन शिकायत एवं गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ मनरेगा, **मुख्य अभियंता**—मनरेगा, **मुख्य अभियंता**—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, **संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)**— मनरेगा



सदस्य सचिव

आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

उपयोजनाएँ :-

हितग्राही मूलक :

(अ) **हितग्राही मूलक योजनाएँ** : योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की निजी स्वामित्व की भूमि पर कार्य कराने हेतु निम्न उपयोजनाएं लागू हैं :-

- हितैषी कपिल धारा** : महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत सभी जिलों में SECURE लागू होने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित डिजाइन के अनुरूप कपिलधारा उपयोजना के तहत नवीन कूप निर्माण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें निजी भूमिधारी पात्र हितग्राही के पास न्यूनतम 1.0 एकड़ भूमि आवश्यक है।
- खेत तालाब** : मनरेगा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही कृषकों के निजी खेत में सिंचाई एवं भू-जल रिचार्जिंग के लिये खेत तालाब निर्माण हेतु 400 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रु. 0.37 लाख, 1000 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रु. 1.0 लाख तथा 3600 घन मी. जल क्षमता के 3.05 लाख रु. लागत के खेत तालाब बनाये जाने के प्रावधान है।

3. **नाडेप व वर्मी कम्पोस्ट** : मनरेगा योजना अंतर्गत बायोमास को उच्च गुणवत्ता वाले कम्पोस्ट खाद में बदलने के लिये नाडेप प्रभावी तरीका है! इसके लिये 10x4.5x3 में ईट की जालीदार चिनाई का प्रावधान रखा गया है।
4. **गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु हेतु** : मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन आजीविका का प्रमुख स्रोत है। योजना अंतर्गत अनुमत कार्यों की अनुसूची में आजीविका व पशुपालन संबंधी कार्य शामिल किये गये हैं। जिसके अंतर्गत गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु हेतु लागत 0.63 लाख, गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 10 पशु हेतु लागत 1.00 लाख, बकरी पालन हेतु शेड निर्माण लागत राशि रु 46000/- कुक्कुट पालन पालन हेतु शेड निर्माण लागत राशि रु 51000/- निर्धारित की गई है।
5. **निजी खेत में फलोद्यान** : इस योजना के तहत नरेगा जाबकार्डधारी पात्र वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया, IAY/PMAY के लाभार्थी परिवार, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी हक प्रमाण धारक एवं लघु व सीमान्त कृषक) के खेतों में फलोद्यान परियोजना का कार्य किया जा सकेगा। जिसमें निजी खेतों में ब्लॉक प्लान्टेशन 400 पौधा प्रति एकड़, लागत 2.12 लाख, 250 पौधा प्रति एकड़ हेतु लागत 1.83 लाख और 100 पौधा प्रति एकड़ हेतु लागत 1.30 लाख निर्धारित की गई।
6. **प्रधानमंत्री आवास योजना**— प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों में अकुशल श्रमिक अंश की पूर्ति मनरेगा से किये जाने के निर्देश हैं। प्रदेश के आई.ए.पी. जिलों में 95 दिनों की मजदूरी तथा नॉन आई.ए.पी. जिलों में 90 दिन की मजदूरी दी जा रही है।
7. **वनवासी संवर्धन** : वनवासी संवर्धन सुदूर वन अंचलों में निवास करने वाले वन अधिकार अधिनियम के वनाधिकार प्रमाण-पत्र धारक ग्रामीण परिवारों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यों का लाभ देने हेतु “वनवासी संवर्धन” उपयोजना निर्मित की गई है। मास्टर सर्कुलर 2019-20 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पट्टाधारी एवं जॉबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 150 मानव दिवसों के रोजगार पाने की पात्रता है।
8. **मेढबंधान** : महात्मा गांधी नरेगा के तहत नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम हेतु प्रदेश के धान उत्पादक 22 जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत मेढबंधान का कार्य अनुमत किया गया है।
9. **जय किसान उपयोजना** — महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की बंजर/ पड़त भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु जय किसान उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 5082 दिनांक 25/11/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं।

समुदाय मूलक :

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य विभागों/योजनाओं के अभिसरण से निम्नानुसार सामुदायिक विकास कार्य कराये जाते हैं :-

1. **शैल-पर्ण** : उपयोजना ग्रामीण क्षेत्रों की वनस्पति विहीन पहाड़ियों के उपचार से संबंधित है। उपयोजना के तहत ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी एवं पशुचारा पत्ती उपलब्ध कराने के लिए वृक्षारोपण, चारागाह विकास के लिये वर्षा जल व मिट्टी के बहाव को रोकने पहाड़ियों पर छोटे-छोटे डबरो का निर्माण, नालियों पर पत्थरों के अवरोधक (बोल्डर चेक) व पहाड़ी की तलहटी पर पशु अवरोधक खंती निर्माण आदि के कार्य कराये जाते हैं।
2. **निर्मल नीर** : प्रदेश में पेयजल की कठिनाई के दृष्टिगत पेयजल कूप के निर्माण हेतु तीन डिजाइन

के मानक निर्धारित हैं। आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 12 मी. हेतु लागत 4.46 लाख एवं आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 15 मी. हेतु लागत 5.35 लाख, (प्लेटफार्म, जगत, सोकपिट, ड्रेन धिरनी सहित) निर्धारित की जाती है।

3. **ग्रामीण क्रीड़ांगन** : ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का उद्देश्य दैनिक रोजगार के कार्यों से मूलभूत सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास से संबंधित है। इसमें खेल मैदान विकसित किये जा सकते हैं ताकि ग्रामीण परिवेश में खेलों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन मिले। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को विकास के नए अवसर प्राप्त हों। दिनांक 9 दिसम्बर 2016 से खेल मैदान विकसित करने की मानक लागत रु. 32 प्रति वर्ग मी. तथा बैठक व्यवस्था एवं मूत्रालय निर्माण हेतु लागत रु. 33 हजार निर्धारित की गयी है। यह भी निर्देश है कि मैदान का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर से कम न हो।
4. **शांतिधाम** : शांतिधाम उपयोजना अंतर्गत जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 2000 से कम या अधिक पर कमशः एक एवं दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जावे। जिसके लिये कमशः 1.92 लाख एवं 2.80 लाख की राशि मानक लागत अनुसार निर्धारित है। शांतिधाम/कब्रिस्तान हेतु केवल पक्का चबूतरा शेड निर्माण सी.पी.टी. निर्माण कराया जावे, चारो ओर वृक्षारोपण कराया जावे। पानी की व्यवस्था हेतु हेण्डपम्प एवं सतही टंकी के लिये मानक लागत 1.00 लाख नियत की जाती है। जिसे सांसद, विधायक, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान पंचायत मद से आय अथवा जनसहयोग से प्राप्त की जा सकती है।
5. **बारहमासी सड़क सम्पर्कता** :
 - 5 (अ) **आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क/पथ निर्माण** : ग्रामों में आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए पंच परमेश्वर योजना के अभिसरण से नाली निर्माण किया जाता है। आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क 3 मी. चौड़ाई तथा नाली निर्माण हेतु मनरेगा से 15 प्रतिशत अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
 - 5 (ब) **सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना** : महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम एवं टोले मजरे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के छुटे हुये ग्राम, मजरा-टोला, एप्रोच रोड खेत समूह को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना तहत बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिये प्रावधान किया गया है।
6. **भारत निर्माण सेवा केन्द्र (पंचायत भवन)** : परफारमेंस ग्रांट अभिसरण अंतर्गत मनरेगा से भवन विहीन, ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण एवं ई. पंचायत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है जिसकी मानक लागत रु.14.88 लाख निर्धारित है। नरेगा से अभिसरण की दशा में नरेगा अंश के लिये ग्राम पंचायत स्वीकृति जारी करेगा तथा शेष राशि अभिसरण से प्राप्त की जावे।
7. **आंगनवाड़ी भवन** : महिला एवं बाल विकास/परफारमेंस ग्रांट अभिसरण से भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु मानक लागत रु. 7.80 लाख निर्धारित हैं। मनरेगा से अभिसरण की दशा में मनरेगा अंश की स्वीकृति ग्राम पंचायत जारी करेगा शेष राशि परफारमेंस मद से प्राप्त की जावेगी।
8. **अनाज गोदाम** : ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वितरण प्रणाली केन्द्रों पर, सहकारिता विभाग द्वारा चयनित स्थल पर अनाज भण्डार हेतु 100 मै.टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा की शत-प्रतिशत राशि से किया जाना है।
9. **खाद्यान भण्डारण हेतु पक्का चबूतरा (CAP) निर्माण** — ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन मूल पर उपार्जित

- खाद्यान भण्डारण हेतु पक्का चबूतरा (CAP) निर्माण किये जाने के सहकारिता व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 16/09/2020 को परिपत्र जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 500MT एवं 1500MT भण्डारण क्षमता के पक्के चबूतरे बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
10. **प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन (NRM):** इसके अंतर्गत पंचायत, जनपद एवं जिलों में विकास कार्यों पर स्वीकृति कुल राशि का 65% जल संवर्धन के कार्यों पर किया जाना प्रावधानित है।
 11. **चंदेला/बुंदेला कालीन प्राचीन तालाबों की मरम्मत/जीर्णोद्धार :** महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विभाग के पत्र क्र. 8695 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार तालाब मरम्मत/जीर्णोद्धार के निर्देश जारी किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी व गुना के ऐसे प्राचीनकाल तालाब और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी और पन्ना जिले के ऐसे चंदेल कालीन व बुन्देलकालीन तालाबों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनकी जल भराव क्षमता कम हो गयी है।
 12. **चारागाह व नर्सरी निर्माण :** महात्मा गांधी नरेगा परिषद भोपाल के आदेश क्र. 11202 दिनांक 26.02.2019 द्वारा गौशाला परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग का पत्र क्र. 124 भोपाल दिनांक 06.02.2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। गौशाला में उपलब्ध गौवंश को हरे चारे की माँग के प्रबंधन हेतु चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण की परियोजना बनायी गयी है।
 13. **किचन शेड कम डायनिंग हॉल :** महात्मा गांधी नरेगा एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अभिसरण से निर्मित होने वाले किचन शेड सह स्टोर रूम के साथ डायनिंग हॉल निर्माण के संबंध में विभाग के पत्र क्र. 8106 दिनांक 24.02.2020 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। जिसकी लागत टाइप-1 25 छात्रों हेतु लागत 4.70 लाख एवं टाइप-2 50 छात्रों हेतु लागत 7.20 लाख निर्धारित की गई।
 14. **समूह के लिये SHG संघ भवन का निर्माण —** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत समूह के लिये स्व-सहायता समूह (SHG)/संघ भवन का निर्माण करने संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 2477 दिनांक 18/09/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं जिसके अंतर्गत संचालित DAY NRLM के तहत गठित स्वसहायता समूहों की कृषि आधारित व खाद्यान भण्डारण संबंधी गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिये तथा इनके कृषि व अन्य उत्पादों के विक्रय के प्रचार प्रसार हेतु SHG संघ भवन का निर्माण करने का प्रावधान है।
 15. **शासकीय शालाओं में पहुंचमार्ग, खेल मैदान एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण —** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय शालाओं में पहुंचमार्ग, खेल मैदान एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने संबंधी निर्देश आयुक्त मनरेगा एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के संयुक्त हस्ताक्षर से के पत्र क्र. 5129 दिनांक 01/12/2020 के अनुसार जारी किया गया है।
 16. **गौचर भूमि विकास उपयोजना —** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत गौचर भूमि विकास उपयोजना सामुदायिक चारागाह विकास के कार्य कराये जाने संबंधी आदेश विभाग के पत्र क्र. 5084 दिनांक 25/11/2020 संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्वसहायता समूह (SRLM एवं NABARD अंतर्गत गठित) के माध्यम से चारागाह विकास का निर्माण कार्य कराया जावेगा। चारागाह परियोजना का संचालन स्वसहायता समूहों/ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान किया गया है।
 17. **महात्मा गाँधी नरेगा योजना अंतर्गत एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से हितग्राही एवं समुदाय के लिये पोषण उद्यान (Nutri-Garden) का विकास —** ग्रामीण परिवारों को पोषणयुक्त फल सब्जी की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर कराये जाने हेतु महात्मा गाँधी नरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से पोषण उद्यान विकसित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

- 18. सामुदायिक टांका निर्माण** – प्रदेश के ऐसे ग्राम जिनमें ग्रीष्म ऋतु भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है उनमें पेयजल, विस्तार, पशुओं व पेड़ पौधों को पानी की परेशानी के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन हेतु सामुदायिक जल संचयन पोण्ड (टांका निर्माण) के निर्देश विभाग के परिपत्र क्र. 140/3/2020 दिनांक 14/05/2020 जारी किये गये हैं। इस निर्देशों के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चिन्हित ग्रामों में 50000 लीटर एवं 100000 लीटर क्षमता के टांका निर्माण किये जाने के निर्देश हैं।
- 19. बाल्मीकी मियावाँकी पद्धति से सघन सामुदायिक वृक्षारोपण** – ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों के सघन सामुदायिक वृक्षारोपण के माध्यम से आजीविका सद्बृद्धीकरण हेतु विभाग के पत्र क्र.1616/3/2020 दिनांक 10/08/2020 से निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 0.25 एकड़, 1 एकड़ एवं 1 हेक्टर क्षेत्र में क्रमशः 1000, 4000 व 10000 स्थानीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त प्राचीन प्रजातियों के पौधे/झाड़ियाँ/लताओं एवं ओषधीय पौधे का रोपण किये जाने के निर्देश हैं।
- 20. जैविक बागड़** – महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत जैविक बागड़ शासकीय स्कूलों, आंगनवाडी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, अनाज गोदान, शासकीय मंदिर, तालाब के किनारे, शांतिधाम, खेल मैदान आदि परिसरों में लगाने हेतु विभाग के पत्र क्र.1618 दिनांक 10/08/2020 द्वारा जारी किये गये हैं।
- 21. ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना**— महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत अनुमत सामुदायिक कार्यों के रखरखाव हेतु ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 5656/3/2020 दिनांक 18/12/2020 से निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत रु. 30 लाख की सीमा तक जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- 22. मंदिर कुंज/नक्षत्र वाटिका**— महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मंदिर कुंज के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 57/3/2020 दिनांक 05/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत क्रमशः धर्मस्व/अध्यात्म विभाग के पंजीकृत मंदिर/धार्मिक स्थल जिनके पास वृक्षारोपण/ फलोद्यान परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध हो, ऐसे स्थलों पर वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- 23. मंदिर सरोवर उपयोजना** – महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मंदिर सरोवर उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 40/3/2020 दिनांक 02/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय देवस्थान मंदिर जिनके पास 15 हेक्टर से अधिक भूमि हो, ऐसे मंदिर सरोवर का निर्माण मंदिर के पुजारी/समिति के अनुशंसा के आधार पर कर सकते हैं।

पदस्थ अमला : योजना क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार अमला पदस्थ है :—

स्तर	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मुख्यालय), भोपाल	207	98	109
संभाग स्तर पर	30	15	15
जिला स्तर पर	1035	297	738
जनपद स्तर पर	3966	2801	1165
ग्राम पंचायत स्तर पर	22816	20568	2248
कुल योग	28054	23779	4275

रोजगार की उपलब्धता : (1 जनवरी 2021 की स्थिति में)

- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 में 77.41 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों में से 62.20 लाख सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवार है। माह जनवरी 2021 तक 2918.81 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। जिनमें से अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 13.34% मानव दिवस, अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 33.64% मानव दिवस तथा कुल मानव दिवस में से 40.51% मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गये हैं।
- वर्ष 2020-21 में 79,015 निःशक्तजनों को महात्मा गांधी नरेगा से रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय स्थिति :

वित्त वर्ष 2020-21

(31.01.2021 की स्थिति में)

विवरण			राशि रुपये (करोड़ में)
सामग्री एवं प्रशासनिक मद	केन्द्रांश	राज्यांश	2396.781
	1797.597	599.184	
NeFMS राशि (मजदूरी) 100 प्रतिशत केन्द्रांश			5564.40
अंतिम शेष राशि			23.39
कुल प्राप्त आवंटन			7984.571
अन्य योजना को उधार वापसी की राशि			175.00
कुल व्यय राशि			7933.07

प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (MIS) :

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अकुशल मजदूरी भुगतान एफटीओ द्वारा 5220.64 करोड़ रुपये एवं सामग्री पर एफटीओ द्वारा 1895.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि 7118.20 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई तथा राशि रु. 708.78 करोड़ लंबित राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाना प्रचलन में है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2981.81 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल पूर्ण कार्यों की संख्या 6.19 लाख एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या 6.79 लाख है।

योजनांतर्गत किये गये कार्यों का विवरण :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार बुनियादी कार्य कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किये गये बुनियादी विकास के पूर्ण कार्यों एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की संख्या	
		पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
1	आंगनवाड़ी/अन्य ग्रामीण अधोसंरचना	2219	5424
2	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	774	2823

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की संख्या	
		पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
3	सूखा रोधन	39298	100756
4	मछली पालन	83	198
5	बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा	1021	3004
6	अनाज भण्डारण	172	1190
7	भूमि विकास	25726	19799
8	लघु सिंचाई कार्य— तालाब/खेत तालाब निर्माण	22081	36475
9	खेल मैदान	1814	2194
10	शांतिधाम निर्माण	2142	3341
11	परम्परागत जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार	450	319
12	ग्रामीण सड़क संपर्कता — ग्रेवल रोड़ एवं पुलिया निर्माण	5200	15180
13	आंतरिक सीमेन्ट कांक्रिट	33174	37975
14	ग्रामीण पेयजल — सार्वजनिक पेयजल कूप	623	937
15	ग्रामीण स्वच्छता — घरेलू शौचालय निर्माण	662	4592
16	जल संरक्षण एवं जल संवर्धन —चेक डेम/स्टापडेम	19242	30496
17	कपिलधारा कूप	27281	54249
18	व्यक्तिगत हितग्राही की जमीन पर कार्य (कैटेगरी—चार) —मेढ़बंधान	46138	49496
19	व्यक्तिगत हितग्राही की जमीन पर कार्य (कैटेगरी—चार) — पशुशेड/बकरी शेड/मुर्गी शेड/पिगरी शेड	1656	19423
20	व्यक्तिगत हितग्राही की जमीन पर कार्य (कैटेगरी—चार) प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास	313251	195137
21	नाडेप वर्मी कम्पोस्ट	12267	13487
22	अन्य कार्य— मनरेगा वाटरशेड, रिचार्ज संरचना, नहर मरम्मत, एसएचजी शेड आदि।	1000	1774
23	खाद्यान भण्डारण हेतु पक्का चबूतरा (CAP) निर्माण	205	929
24	शासकीय स्कूल/ विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण	774	2823
25	SHG हेतु संघ भवन निर्माण	55	207
26	नर्सरी विकास	555	1333
27	गौचर भूमि में चारागाह विकास	271	873
28	स्कूलों में एप्रोच रोड	127	1224
29	समुदायिक जल संचयन पोण्ड (टांका निर्माण)	3	100

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की संख्या	
		पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
30	गौशाला सामुदायिक केटलशेड	988	1912
31	किचन शेड कम डायनिंग हाल	13	225
योग		559265	607895

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से आमजन सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेगा सॉफ्टवेयर का उपयोग योजना क्रियान्वयन, मजदूरी, इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल, कार्यों एवं उन पर होने वाले व्यय के सीधे भुगतान के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग तथा रियल टाइम सूचना तंत्र विकसित किया गया है।

राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सम्पूर्ण कार्यों का व्यय राज्य के योजना खाते से एफटीओ के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में ई-एफएमएस प्रणाली के लागू होने के वृहद स्वरूप की मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनेक लाभ हुये हैं तथा रोजगार की उपलब्धता, समय पर भुगतान, शिकायत निवारण, वित्तीय तथा कार्य क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम तथा आदर्श ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। प्रदेश में मजदूरी का भुगतान सीधे भारत सरकार के खाते से मजदूरों के खातों में NeFMS (National Electronic Fund Management System) से किया जा रहा है।

प्रशासनिक व्यय अंतर्गत कार्यरत अमले का वेतन तथा अन्य कार्यालयीन व्यय करने के लिये विभिन्न मदों में बजट की सीमा अंतर्गत व्यय करने हेतु राज्य स्तर पर पूल खाते से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति विकसित की गई है। जिला एवं जनपद पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व अन्य कार्यालयों को निर्धारित सीमा तक व्यय हेतु डिजिटल सिगनेचर से इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर करने का प्रावधान किया गया है।

GIS : (Geographical Information System)

जियो मनरेगा :

जियो मनरेगा अंतर्गत इंडियन स्पेश रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) की भुवन मोबाईल एप्स के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से पंजीकृत एमएसई द्वारा कार्य स्थल से जियोटैग फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति सेटेलाइट मैप पर देखी जा सकती है। कार्यों की जीआईएस के साथ-साथ कार्यों पर हुये व्यय आदि का विवरण भी भुवन पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। मौके पर कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा पारदर्शिता की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जियो मनरेगा प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से पूर्व प्रारंभ हुये ऐसे समस्त कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको कार्य पूर्णता होने पर कार्य का जियो टैग फोटोग्राफ प्राप्त करने का प्रावधान है। इसी प्रकार द्वितीय चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से प्रारंभ कार्यों के 03 स्थितियों के फोटोग्राफ लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

जियो मनरेगा फेस-2 अंतर्गत जियो मनरेगा द्वितीय चरण के कार्यों के 03 स्थितियों के भुवन मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रथम स्थिति कार्य स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होने के पूर्व का कार्य स्थल का फोटो जियोटैग करना, द्वितीय स्थिति प्रगतिरत कार्य की फोटो जियोटैग करना एवं तृतीय स्थिति में पूर्ण कार्य की फोटो जियोटैग करना आवश्यक है। कार्य का प्रथम

मस्टररोल जारी करने के पूर्व प्रथम स्थिति का फोटोग्राफ, कार्य पर 30 से 60 प्रतिशत के मध्य व्यय होने पर द्वितीय स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने पर तृतीय स्थिति का फोटोग्राफ अनिवार्य किया गया है।

जीआईएस आधारित प्लानिंग :

प्रत्येक वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत आवश्यकता अनुसार कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मनरेगा में अनुमत विभिन्न NRM (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) एवं Non-NRM कार्य चिन्हित किए जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद की 02 ग्राम पंचायतों के GIS आधारित कार्ययोजना बनाई जानी थी। इस हेतु प्रत्येक जिले से 2-2 मास्टर ट्रेन चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्रथम एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 25, 26 एवं 27 फरवरी 2019 को एवं द्वितीय 3 दिवसीय विस्तृत परीक्षण दिनांक 26, 27 एवं 28 मार्च 2019 को दिया गया।

इस हेतु Google Maps एवं Bhuwan वेबपोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न नक्शे जैसे — Location map, Land-use land-cover map, Soil erosion map, Geomorphology map, Lineament map, Drainage map, Watershed boundary map, Hydrology map, Salt affected map, Geo-MGNREGA Asset Map आदि का उपयोग कर ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति अनुसार कार्य चिन्हित किए गए। निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद की 02 ग्राम पंचायतों के GIS आधारित कार्ययोजना बनाई जाकर उसे नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड किया गया।

SECURE Software :

SECURE (Software for Estimate Calculation Using Rural Rates) का क्रियान्वयन मनरेगा योजना में 01 अप्रैल 2019 से मध्यप्रदेश में किया गया है। उक्तानुसार सॉफ्टवेयर से कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जाना एवं कार्यों की स्वीकृति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। नरेगा सॉफ्टवेयर में कार्ययोजना में दर्ज कार्य प्राक्कलन हेतु SECURE पर कार्य उपलब्ध होंगे, उपयंत्री द्वारा कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा जारी की जावेगी।

सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग में पदस्थ समस्त उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक था। उक्त हेतु वाल्मी द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर, राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

SECURE Software अंतर्गत कार्य दायित्व :

- **वरिष्ठ डाटा मैनेजर** — समस्त उपयोक्ताओं के पंजीयन करना।
- **उपयंत्री** — प्राक्कलन तैयार करना।
- **सहायक यंत्री** — तैयार प्राक्कलन को चेक करना, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना अथवा स्वीकृति हेतु अग्रेषित करना।
- **कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता** — शासन के निर्देशों के अनुसार 15 लाख से अधिक राशि के कार्यों में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।
- **सरपंच** — 15 लाख तक कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।
- **मु.का. अधिकारी जनपद पंचायत/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त/विकास आयुक्त** — शासन के नियमों के अनुरूप 15 लाख से अधिक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।

सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन उपरांत नरेगा में स्वीकृत होने वाले कार्यों के डिजिटल प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे, जिससे कार्य में पारदर्शिता आवेगी साथ ही काम त्वरित हो सकेगा।

मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम :

भारत सरकार द्वारा मस्टर रोल पर समय पर उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम एप उपलब्ध कराया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य के क्रियान्वयन के स्थान पर ही मजदूरों की उपस्थिति की प्रविष्टि की जा सकती है एवं कार्य का जियो टैग फोटो भी लिया जा सकता है।

मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम का पायलेट क्रियान्वयन जिला भोपाल की फन्दा जनपद की 01 ग्राम पंचायत (बकानिया) में जुलाई 2019 में सफलतापूर्वक किया गया है। तत्पश्चात समस्त जिलों को इस एप्लीकेशन के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है।

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम :

वर्षाकाल के पश्चात् भी नदियों में पानी सतत प्रवाह (Environmental Flow) बनाये रखने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 36 जिलों में 40 नदियों का चयन किया गया है। चयनित नदियों के कैचमेंट का कुल क्षेत्रफल 21 लाख हैक्टेयर है, जिसमें 1959 ग्राम पंचायत और 3620 ग्राम शामिल हैं। चयनित नदियों के कैचमेंट में सतही जल संग्रहण और भू-जल संवर्धन के कार्य वाटरशेड के सिद्धांत के आधार पर Saturation Mode में कार्यान्वित किये जायेंगे ताकि बेस फ्लो के पुनः जागृत होने पर नदियों में पानी के प्रवाहकाल में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम के अंतर्गत सतही जल संग्रहण और भू-जल संवर्धन के कार्य सघनता (Intensively) से चयनित कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किये गये हैं। कार्यों के चयन में रिमोट सेंसिंग इनपुट का भी उपयोग किया गया है। चयनित कार्यों में प्रमुख रूप से कंटूर ट्रेंच, गली प्लग/लूज बोल्टर चेक, गैबियन संरचना, चेकडेम/स्टाप डेम, तालाब, खेत तालाब, मेढ़ बंधान, वृक्षारोपण एवं भू-जल संवर्धन के कार्य जैसे परकोलेशन तालाब, कुंओ का रिचार्ज, डाईक, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना सामुदायिक कैटलशेड (गौशाला परियोजना) :

निराश्रित गौवंश की सुरक्षा व देख-रेख के लिये गौशाला परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत /SHG/NGO/ Other के माध्यम से किया जा रहा है। गौशाला निर्माण कार्य के परियोजना घटक – गौशाला शेड, बछड़ा शेड, हौज, भूसा गोदाम, कम्पोस्ट यूनिट/नाडेप, चौकीदार कक्ष, टयूब वेल, मोटर पम्प, पानी की टंकी आदि हैं। गौशाला निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत अनुसार अनुमानित लागत (100 गौवंश हेतु) – राशि रु. 37.84 लाख प्राक्कलित है, जो केवल मार्गदर्शी है। बिजली, टयूबवेल, पंपसेट आदि की व्यवस्था पशुपालन, कृषि विभाग के अभिसरण से की जा रही है।





तालाब निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत पत्थरपाड़ा,
जनपद पंचायत भीकनगांव, जिला खरगौन



कार्य के दौरान मास्क वितरण, ग्राम पंचायत
हसनपुरा, जनपद पंचायत खिरकिया, जिला हरदा



सुदूर सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत
सूती, जनपद पंचायत त्योंथर, जिला रीवा



गौशाला, ग्राम पंचायत दौरियाखेड़ा,
जनपद पंचायत तामिया, जिला छिन्दवाड़ा



लघु तालाब हितग्राही कासीराम/घसीटा, ग्राम पंचायत
नेवरगांव ला, जनपद पंचायत लालबर्वा, जिला बालाघाट



पर्कोलेशन निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत जवानिया,
जनपद पंचायत भाभरा, जिला अलीराजपुर

सामाजिक अंकेक्षण

कोविड-19 महामारी के कारण 07 दिवसीय सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया (सत्यापन एवं ग्राम सभा) के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत शासन के पत्र दिनांक 17.06.2020 के माध्यम से प्राप्त दिनांक 29.05.2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया है।

- सामाजिक लेखा परीक्षा नियम 2011 के अनुपालन में वर्ष 2020-21 में प्रदेश की 22809 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण लक्षित किया गया, जिनमें 20171 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों के साथ प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का लक्ष्य भी सम्मिलित है।

उक्त लक्षित ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 20171 ग्राम पंचायतों (88 प्रतिशत) में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।

- सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2020-21 में प्रदेश के चिन्हांकित 28 पायलट जिलों में नवीन प्रक्रिया से लगभग 2838 ग्राम सामाजिक एनिमेटर का चिन्हांकन किया गया, जिसमें बेयरफुट टेक्निशियन/नेहरू युवा केन्द्र के वर्तमान अथवा पूर्व में कार्यरत विकासखण्ड युवा समन्वयक, एनआरएलएम स्व-सहायता समूह अंतर्गत बुककीपर, महिला सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (CRP) को लिखित परीक्षा, मोबाईल प्रैक्टिकल, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चिन्हांकित एवं प्रशिक्षित किया जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य में संलग्न किया गया।
- वर्ष 2020-21 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया से 14087 मुद्दे प्राप्त हुए (जनवरी 2021 तक पंजीकृत)। उक्त प्राप्त मुद्दों में से 7464 मुद्दे संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निराकृत किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान राशि रु. 5420912.92/- का दुरुपयोग होना पाया गया, जिसमें से राशि रु. 673316.34/- की वसूली संबंधित जिला पंचायत द्वारा की गई है।



समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सत्यापन कार्य



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यप्रदेश

(1) परिदृश्य—

सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” की शुरुआत हुई। मिशन की गतिविधियों के लिये 60 प्रतिशत भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। मिशन सभी जिलों के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर मिशन का नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। मिशन के समन्वयक राज्य कार्यक्रम अधिकारी है। जिलों में संचालन, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है। जिला कलेक्टर मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सचिव है।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 का उद्देश्य—

वर्ष 2020-21 से योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 की समयावधि – वर्ष 2020-25, में प्रदेश के सभी ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें – सभी घरों/संस्थाओं से गीला एवं प्लास्टिक सहित सूखा कचरा संग्रहित किया जायेगा। जैविक ठोस अपशिष्ट (गीला कचरा) को ग्राम स्तर पर प्रबन्धित किया जाएगा। ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई (PWMU) स्थापित होगी, जो नियमित अंतराल पर ग्रामों में एकत्र प्लास्टिक सहित अजैविक ठोस अपशिष्ट का उठाव कर इसे प्रसंस्त/प्रबन्धित करेगी। प्रचुर मात्रा में गोबर उत्पन्नकर्ता स्थानों के लिए बायो-मीथेन संयंत्र द्वारा उर्जा उत्पादन का कार्य GOBAR-dhan स्कीम से किया जायेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय-संसाधन एस.बी.एम. (ग्रा.), 15वाँ वित्त-आयोग निधि की आबद्ध राशि, मनरेगा, पंचायत निधि से उपलब्ध होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु ग्रामों के चयन में प्राथमिकता 2,000 से अधिक जनसंख्या/पर्यटन/धार्मिक/पेरी-अर्बन ग्रामों को दिया जायेगा जिससे ठोस अपशिष्ट कानून 2016-20 का परिपालन सुनिश्चित हो सके। इन सभी ग्रामों में वर्ष 2020 से 2022 तक तथा इसके पश्चात् शेष ग्रामों का प्रति वर्ष चरणबद्ध चयन किया जाकर यह प्रणाली स्थापित होगी। ग्राम स्तर तथा ब्लॉक/जिला स्तर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना एवं परिचालन में त्रि-स्तरीय पंचायती-राज संस्थाओं तथा महिला स्व-सहायता समूहों की संलग्नता को सुनिश्चित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ग्राम समुदाय की सहभागिता के लिए सतत सूचना-शिक्षा-संचार की गतिविधियां होंगी तथा सभी हितभागियों के क्षमता-वर्धन हेतु संस्थागत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(3) कार्यकारिणी समिति—

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समस्त प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी शक्तियों के निर्धारण किये जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन कार्यकारिणी समिति की गठन किया गया है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग के सचिव सदस्य होते हैं। इसके अलावा सदस्य के रूप में आयुक्त पंचायतराज प्रमुख अभियंता पीएचई, कार्यक्रम समन्वयक एमपीआरएलपी एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होते हैं।

(4) मुख्य घटक—

I. व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग—

- भारत शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों के लिए पारिवारिक शौचालय के निर्माण के उपरांत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रुपये 12000 दिये जाने का प्रावधान है।
- स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित भी किया जाता है।
- प्रोत्साहन राशि के लिए निम्न वर्ग के परिवार पात्र हैं—
 - अनुसूचित जाति बी.पी.एल./ए.पी.एल.,
 - अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल./ए.पी.एल.,
 - सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के बी.पी.एल.,
 - लघु व सीमांत कृषक
 - ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार,
 - शारीरिक रूप से निःशक्त/दिव्यांग
 - परिवार का मुखिया यदि महिला हो

II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण —

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेस-2 अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त स्थिति के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिये 100 या 100 से अधिक घरों वाले ग्राम के ऐसे स्थानों जहाँ एससी/एसटी आबादी/गरीब बस्ती/प्रवासी/फ्लोटिंग जनसंख्या है, वहाँ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किये जाने का प्रावधान है। स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए न्यूनतम लागत रुपये 3.00 लाख निर्धारित है जिसमें 70: राशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) मद से तथा 30: राशि 15वें वित्त से लिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतें ग्राम में उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रसाधन की संरचनाएँ निर्मित किये जाने हेतु अन्य स्रोतों से भी राशि सहयोजन कर सकती है।

III. ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन —

स्वच्छ भारत मिशन फेस-2 का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2020-25 तक ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता के स्थायित्व में योगदान देना है। इस हेतु मिशन अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक ईकाईयों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

IV. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाईयों का निर्माण —

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाईयों के निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक जनपद स्तर पर एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाई को लागत राशि रुपये 16.00 लाख से निर्मित किये जाने का प्रावधान है।

V. गोबरधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन—

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के तहत उर्जा उत्पादन के लिये पशु गोबर एवं अन्य जैव अपशिष्ट का उपयोग

कर बायोगैस एवं खाद निर्मित करने के उद्देश्य हेतु। प्रत्येक जिले में गोबरधन की आदर्श परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

VI. आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा एवं संचार) क्षमता वर्धन –

आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। समुदाय स्तर पर स्वच्छता संबंधी व्यवहारगत बदलाव लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय द्वारा पारिवारिक व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं (SLWM) की मांग सृजित करने के लिए आई.ई.सी. गतिविधियां की जाती हैं। SBMG चरण-2 का उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण किया जाना नहीं है बल्कि ग्रामों को ODF प्लस बनाये जाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा निर्मित किये जाने तथा स्वच्छता के बेहतर विकल्प अपनाने के लिये समुदाय के व्यवहार परिवर्तन एवं स्वच्छता की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा सूचना और संचार (IEC) की गतिविधियाँ किया जाना है ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। योजना अंतर्गत निर्मित की गई कुल परियोजना लागत के 3% का उपयोग IEC/BCC पर किये जाने का प्रावधान है। क्षमतावर्द्धन से तात्पर्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला/ब्लाक/ग्राम स्तरीय अमले, स्वच्छाग्रहियों एवं त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों योजना के घटकों से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

(5) नवाचार/पहल–

प्रदेश में फैल रही संक्रमित महामारी ब्दष्ट:19 के रोकधाम हेतु शासन द्वारा सुझाए गए सुरक्षा नियमों एवं गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु लगभग 23014 स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित कर समस्त 51 जिलों के सभी ग्रामों में जागरूकता हेतु समुदाय अभिप्रेरण की गतिविधि की गई है, जिसमें मुख्य रूप से COVID-19 से बचाव एवं सामाजिक दूरी का पालन, साबुन से हाथ धुलाई, सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग, लोगों के लिए साबुन से हाथ धुलाई ईकाई के विकल्प के बारे में बताया गया। परिणामस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 13000 हाथ धुलाई ईकाई का निर्माण किया गया, लगभग 50680 गृह भेंट, 22757 पंचायत सदस्यों को कोविड की शपथ दिया गया तथा 34958 मार्किंग गतिविधियाँ एवं 628682 विद्यार्थियों व 2941817 लोगों तक स्वच्छता संदेश पहुँचाया गया।

(6) बजट प्रावधान–

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 के प्रमुख घटक घरेलू स्वच्छ शौचालय निर्माण, प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य है। फेस-2 के प्रमुख घटक एवं बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

घटक	SBM मद से प्रावधानित राशि			स्तर
	5,000 से कम जन सं.	5,000 से अधिक जन सं.		
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)	60 रु./व्यक्ति	45 रु./व्यक्ति	60 रु./व्यक्ति	ग्राम स्तर
तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)	280 रु./व्यक्ति	280 रु./व्यक्ति	280 रु./व्यक्ति	
जल स्थिरीकरण तालाब (WSP)	प्रावधान नहीं	660 रु./व्यक्ति	प्रावधान नहीं	
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	पात्र हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12000 का प्रोत्साहन।			हितग्राही
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	रु. 3.00 लाख/सी.एस.सी. (70% एस.बी.एम. से एवं 30% 15वें वित्त आयोग से)			ग्राम पंचायत

घटक	SBM मद से प्रावधानित राशि		स्तर
	5,000 से कम जन सं.	5,000 से अधिक जन सं.	
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (PWMU)	रु. 16.00 लाख प्रति यूनिट प्रति ब्लॉक		ब्लॉक स्तर
गोवर्धन मॉडल प्रोजेक्ट	रु. 50.00 लाख प्रति जिला		जिला स्तर

(स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिये राशि रुपये 1256.88 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत शासन को प्रेषित की गई है)

(7) वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक की प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :-

- आधारभूत सर्वे 2012 में छूटे शौचालय विहीन परिवारों (LOB) एवं प्रदेश में कोई घर शौचालय विहीन न छूटे (NLB) अंतर्गत लगभग 26 हजार शौचालय विहीन परिवारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- ग्रामों में खुले में शौच मुक्ति की निरन्तरता के लिये वर्ष 2020-21 में 109011 नवीन शौचालय विहीन घरों को चिन्हित किया गया है। जिनमें से 29132 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- वर्ष 2020-21 में सामुदायिक स्वच्छता परिसर अंतर्गत स्वीकृत 9303 परिसर में 5925 का निर्माण कराया गया है।
- वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 5441 ग्रामों का चयन ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किया गया है चयनित ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के कार्य प्रारंभ किये गये हैं जिस पर योजना अंतर्गत राशि रुपये 474.80 करोड़ व्यय होगा। अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य तीन चरणों में किया जायेगा –
 - (1) कार्ययोजना निर्माण
 - (2) कार्य योजना क्रियान्वयन
 - (3) स्थायित्व प्रणाली का संचालन अभी प्रथम चरण का कार्य जिलों में प्रगतिरत है।
- गोवर्धन योजना के अंतर्गत जिलों द्वारा स्थल चयन की कार्यवाही 30 जिलों में पूर्ण हो चुका है। जिला स्तर पर परियोजनाओं के निर्माण, संचालन एवं संधारण की कार्यवाही हेतु तकनीकी संस्थाओं के चयन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिये उत्कृष्ट कार्य योजनाएं तैयार किये जाने हेतु 10242 ग्राम स्तरीय कार्ययोजना दल एवं ब्लाक/जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कराया गया।



स्वच्छाग्रहियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का ग्रामीणों द्वारा उपयोग किये जाते हुये। जिला हरदा एवं नीमच



सामुदायिक स्तर पर संग्रहित कचरे का पृथक्करण, जिला सीहोर



SLWM की गतिविधियों के संचालन के लिये ग्राम स्तरीय कार्ययोजना दल एवं ब्लाक/जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला सीहोर



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला रतलाम

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रस्तावना / परिचय

सड़कें विकास का आधार होती हैं। सड़क ही वह सेतु है, जो गाँव को शहर से जोड़ता है। गाँवों की समृद्धि शहरों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण यंत्रों के विभिन्न उत्पादों की खपत के साधन शहरों में होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि विकास का मार्ग शहर से होकर गाँव की ओर आता है। शहर के संपर्क के माध्यम से गाँव देश से जुड़ता है। यही परिचय गाँव को विकासोन्मुख बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधनों से उसका रिश्ता जुड़ता है। बिना सड़क, बिजली, टेलीफोन और आवागमन के साधनों के सर्वोन्मुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष यह है कि ग्रामों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका होती है। अतः देश की उन्नति के लिए सड़कें प्राथमिक आवश्यकता हैं। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के जिन सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया था, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियां

1. साधारण सभा— सभापति — माननीय मुख्यमंत्री— सदस्य सचिव — विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- i. प्राधिकरण के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अधिकार सपन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करते हुए उन्हें आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
 - ii. कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना तथा उनमें संशोधन।
- 2. कार्यकारिणी समिति—** सभापति—माननीय विभागीय मंत्री —सदस्य सचिव —विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- i. प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय।
 - ii. प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का अनुमोदन।
- 3. साधिकार समिति—** सभापति — मुख्य सचिव म.प्र.शासन।

अधिकार

- i. इस समिति को मंत्री—परिषद के अधिकार प्रदत्त हैं।
- ii. समन्वय एवं मंत्री—परिषद को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।
- iii. प्राधिकरण के कार्यों का सुचारु संपादन के लिए अन्य विभागों के समन्वय के संबंध में निर्णय।

• योजना का उद्देश्य

सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिनांक 25 दिसम्बर 2000 को **प्रधानमंत्री**

ग्राम सड़क योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन भी किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में आईएपी जिलों में संपर्कविहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़कों से जोड़ा जाकर बारहमासी (All weather road) पक्की सड़क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु आधुनिकतम/नवीन तकनीकी के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सके, इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जाकर उन्नत मापदण्डों के आधार पर एक समयबद्ध कार्यप्रणाली में अनुभवी ठेकेदारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन मार्गों का निर्माण/उन्नयन कार्य जारी है।

योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के संधारण का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से सत्त कराया जाता है साथ ही भारी यातायात से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य भी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

- **कार्यक्षेत्र**

इस योजना का कार्यक्षेत्र पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

- **मानव संसाधन संरचना**

संलग्न प्रपत्र 1 अनुसार।

- **विशेषताएं**

- ▶▶ कोर नेटवर्क पर आधारित प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदण्ड निर्माण पश्चात् 5 / 10 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का रखरखाव भी योजना में शामिल होना, कार्यों की गुणवत्ता निगरानी/नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मॉनिटर्स की व्यवस्था, योजना से संबंधित कार्यों में सम्पूर्ण पारदर्शिता, ऑनलाईन मॉनिटरिंग, ई-टेंडरिंग, ई-पेमेन्ट व ई-मार्ग आदि इस कार्यक्रम की विशेषताएँ हैं।
- ▶▶ PMGSY-III योजना के अंतर्गत उन्नयन लिए मार्गों को चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आधारित है। विद्यमान समस्त मार्गों एवं ग्रामों का जी.आई.एस. आधारित डाटा तैयार कर शिक्षण, चिकित्सा, ग्रामीण कृषि बाजार एवं यातायात की सुविधाओं के फोटोग्राफ्स जियो टैग कर सुविधाओं में पहुंचने हेतु मार्गों की उपयोगिता के अनुसार सिस्टम जनरेटेड ट्रैसमैप से मार्गों की रैंक प्राप्त कर उपयोगिता मूल्य (Utility Value) के अनुसार सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची (CUCPL) से वरियता के क्रम पर मार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

- **भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां/परिणाम (Graphical डायग्राम सहित)**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1 अन्तर्गत अद्यतन स्थिति में रु 22352 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 18841 मार्गों जिनकी लम्बाई 72832 किमी. है का निर्माण किया गया। साथ ही 471 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है। जिससे 17481 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई।

इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में अद्यतन दिनांक तक 142 किमी. लम्बाई 149 मार्गों एवं 79 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रु 244 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 75 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-2

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व से विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-2 योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रदेश को 4984 किमी मार्गों के उन्नयन की तथा 245 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक 4828 किमी लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 186 वृहद पुलों का भी निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

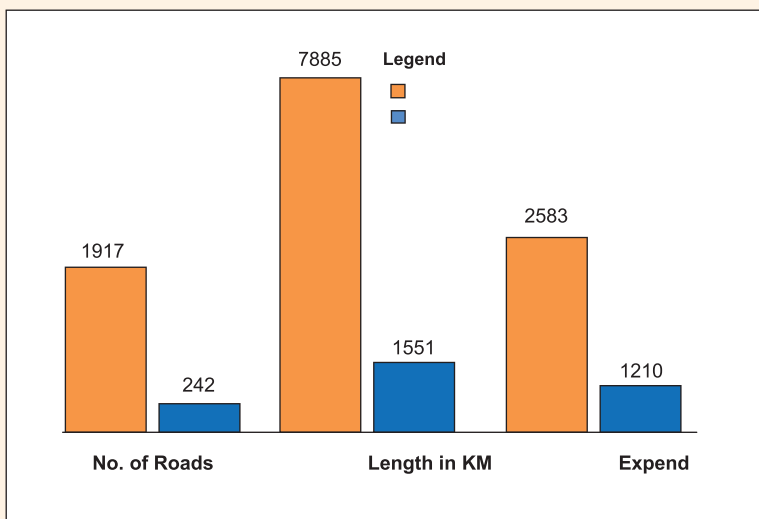
इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में अद्यतन दिनांक तक 91 मार्ग जिनकी लंबाई 238 किमी. है, निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही 76 वृहद पुलों का भी निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग -3

योजना का उद्देश्य पूर्व से निर्मित ग्रामीण मार्गों, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते हैं, का उन्नयन कार्य किया जाना है। भारत सरकार से प्रदेश को 12362 किमी मार्गों का आवंटन प्राप्त हुआ है एवं योजना की अवधि 2025 तक निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम बैच के तहत 108 मार्गों, 1444 किमी एवं 27 नग पुलों के लिए रु. 1176.11 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में प्रथम बैच के तहत 377 मार्ग लंबाई 4779 किमी एवं 167 पुलों के लिए रु. 3233 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई एवं शेष आवंटित लंबाई के लिए डीपीआर तैयार किये जा रहे हैं एवं मार्च 2021 तक स्वीकृति प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में अद्यतन दिनांक तक 1076 किमी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Graphical presentation of PMGSY



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का डामरीकरण (MPRCP)

विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 10000 कि.मी. ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 510 कि.मी. नवीन मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 502 मिलियन यू.एस.डी. है। ग्रेवल मार्गों के नवीनीकरण हेतु 469 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 9278 कि.मी. के कार्यों हेतु अनुबंध किया जा चुका है। अनुबंधित कार्यों में से अब तक 8047 किमी डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में अद्यतन दिनांक तक 955 किमी. के कार्य तक पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

• विशेष उपलब्धियां

ग्रामीण मार्गों के संधारण का ऑनलाईन प्रबंधन।

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 102994 कि.मी. लंबाई के मार्गों को स्वीकृति मिली है। इनमें से लगभग 91400 कि.मी. लंबाई के पूर्ण मार्गों का संधारण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के इस वृहद सड़क नेटवर्क के संधारण कार्यों की समीक्षा एवं प्रबंधन के लिए एक बेब आधारित ऑनलाईन सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस उद्देश्य से नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर (NIC) द्वारा GIS के अंतर्गत पृथक पोर्टल ई-मार्ग (e-marg) तैयार किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित सभी मार्गों का सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है। वर्तमान में संधारण कार्यों का भुगतान भी इसी पोर्टल से माध्यम से किया जा रहा है। ई-मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे परफार्मेंस आधारित संधारण कार्यों की अद्यतन स्थिति के साथ फोटोग्राफ्स अपलोडिंग भी की जाती। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सभी मार्गों का पूर्ण डाटाबेस।
2. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा मार्गों के निरीक्षण प्रतिवेदन की मार्गों के Geo-Tagged फोटोग्राफ्स के साथ अपलोडिंग।
3. ठेकेदारों द्वारा संधारण देयक का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण।
4. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व मार्गों के संधारण के लिए निर्धारित मानदण्डों पर ऑनलाईन इंडेक्सिंग।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा संधारण देयकों का ऑनलाईन अनुमोदन।
6. ठेकेदारों को अनुमोदित देयक राशि का PFMS के माध्यम से ऑनलाईन बैंक खातों में हस्तांतरण।

इसके अतिरिक्त संधारण संबंधी समस्त जानकारी का पोर्टल पर इससे संधारण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित हो सकी है।

Geo-reach :-

Geo-reach software पहला सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों की भौतिक, वित्तीय प्रगति, फंड को कार्य आवंटन, पीआईयू निरीक्षण हेतु लेखा विवरण, जनसामान्य, पीआईयू की समस्या का ऑनलाईन निराकरण एवं ठेकेदारों का भुगतान पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफलता पूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

नवाचार/पहल

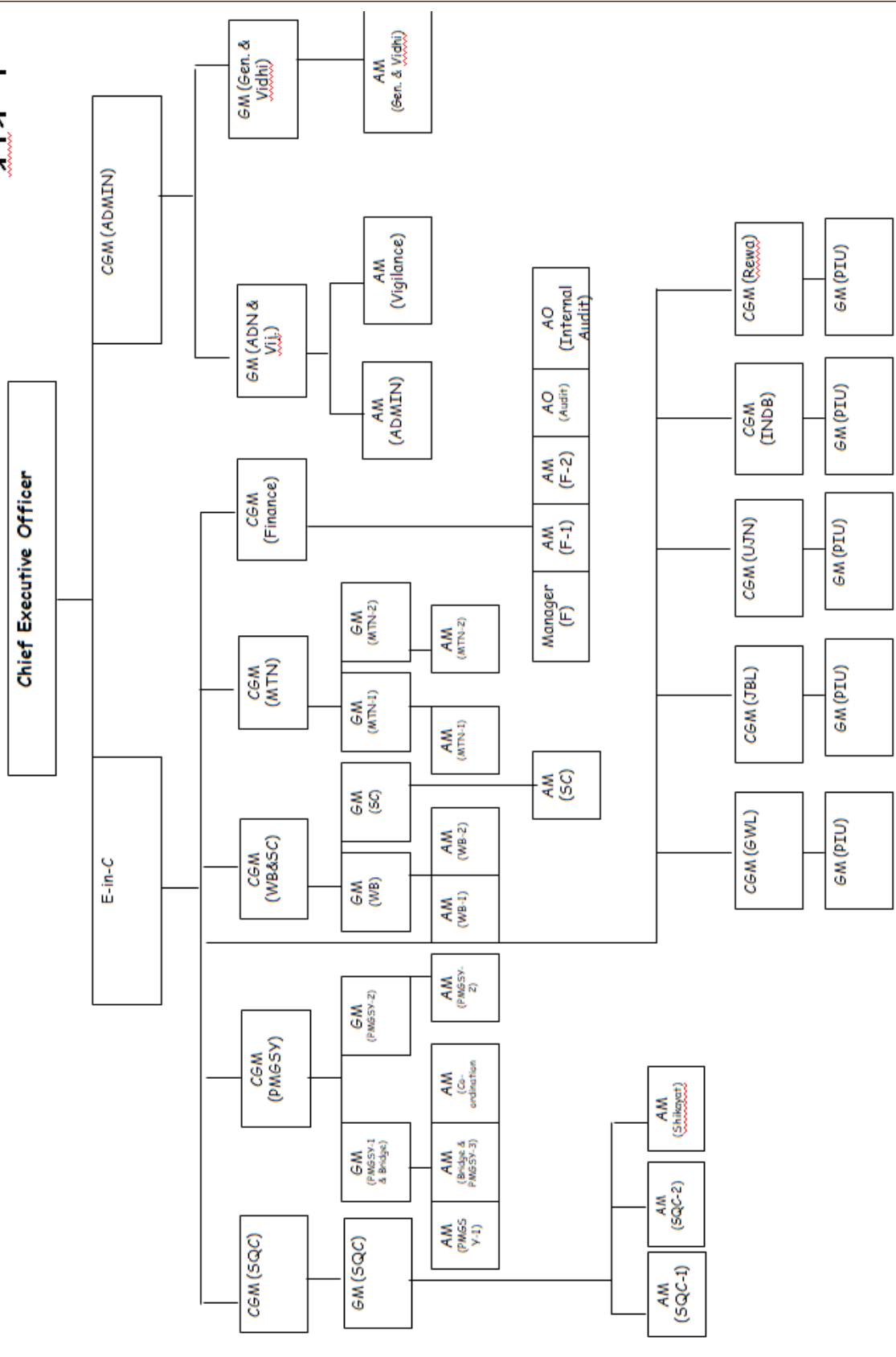
प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके तहत विगत वर्षों में प्रदेश के जिलों में लगभग 4701 MT प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का प्रयोग करते हुए 9402 किमी. मार्गों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए 822 किमी. मार्ग निर्माण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में अद्यतन दिनांक तक प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर 465 किमी. मार्गों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उपरोक्त तकनीक से मार्ग निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों में फैलने वाले गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम भाग होगा।

Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, Bhopal

Head office flow Chart

प्रशा-1







प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रस्तावना / परिचय :-

01 अप्रैल 2016 से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2016-17 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के अनुसार समस्त आवासहीन एवं शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी में दर्ज हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष लक्षित हितग्राहियों को एक कक्ष कच्चा आवास एवं 2 कक्ष कच्चा आवास में वर्गीकृत परिवारों से लिया गया है। ग्राम सभा से सत्यापित एवं अनुमोदित प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। आवासहीन, शून्य कक्ष कच्चा आवास, 1 कक्ष / 2 कक्ष कच्चे आवास की सूची का सत्यापन कराया जाकर सत्यापित सूची की प्रविष्टि आवास सॉफ्ट में कराई जाकर प्राथमिकता सूची तैयार की गई है।

- वित्त पोषण-भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण किया जा रहा है।
- आवास की लागत-समतल क्षेत्र में 1,20,000/- रुपये प्रति ईकाई एवं आईएपी जिलों में 1,30,000/- रुपये प्रति ईकाई।

उद्देश्य :-

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 'सब के लिए आवास' 2022 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश द्वारा योजना प्रारम्भ से आज तक 18.00 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6.25 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 4.73 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

समृद्ध पर्यावास के अंतर्गत हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं से अभिसरण (Convergence) कर अधिक से अधिक लाभ दिया जा रहा है।

कार्यक्षेत्र :-संपूर्ण भारत ।

मानव संसाधन संरचना :-

राजमिस्त्री प्रशिक्षण -

LEAD MASTER TRAINER द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड से चयनित 07 डेमोंस्ट्रेटर को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है एवं उन्हें CSDCI (Construction Skill Development Council of India) के मापदण्ड अनुसार प्रमाणीकरण परीक्षा दिलायी जाकर प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण में उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इन उत्तीर्ण डेमोंस्ट्रेटर में से प्रत्येक विकासखण्ड के लिए 07 आवासों पर 07 डेमोंस्ट्रेटर द्वारा 35 राजमिस्त्रियों को (प्रति आवास एक डेमोंस्ट्रेटर एवं 5 राजमिस्त्री के हिसाब से) 45 दिवस का राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अभी तक प्रशिक्षित डेमोंस्ट्रेटर द्वारा विभिन्न चरणों में 51,128 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।

विशेषतायें :-

1. ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में दर्शाए गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदण्डों के आधार पर।
2. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) व मनरेगा के साथ तालमेल के जरिए या किसी अन्य समर्पित स्रोत से शौचालयों के लिए सहायता (12,000 रु.) का प्रावधान।
3. इकाई सहायता के अलावा, आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान।
4. आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर (आईएवाई के अंतर्गत) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जाना जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
5. यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रु. तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी।
6. बुनिदायी सुविधाओं अर्थात् शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ व एफिसियेंट ईंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करना।
7. लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में आवास साफ्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाएगा, जिसमें वे खाते भी शामिल हैं जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या की समबद्धता कर दी गयी है।
8. स्थानीय सामग्रियों, डिजाईनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास के निर्माण पर ध्यान देना।

भौतिक उपलब्धियां/परिणाम :-

1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कुल 6,79,555 आवास स्वीकृत किये गये हैं। जिनके विरुद्ध 2,44,295 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

वित्तीय उपलब्धियां/परिणाम :-

योजना प्रारम्भ से केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त आवंटन राशि रु. 25031 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 23972 करोड़ का व्यय किया गया।

विशेष उपलब्धियां :-

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण में मध्यप्रदेश, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है।
- राजमिस्त्री प्रशिक्षण अंतर्गत 9000 महिला प्रशिक्षुओं को भी राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया।

नवाचार / पहल-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज्य के समस्त लाभांवित हितग्राही जिन्हें आवास का लाभ दिया जा चुका है उन सभी को केन्द्र व राज्य स्तर से संचालित लगभग सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। दिनांक 24.01.2020 से समृद्ध पर्यावास कार्यक्रम अंतर्गत 27 योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है।



मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

परिचय :

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः केन्द्र वित्त पोषित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी. के.वाई.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) वर्ष 2012 से संचालित है, जो कि वर्ष 2018-19 से प्रदेश के सभी जिलों में सघन रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य :

गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी निर्धनता कम करना, उनकी आजीविका को संवहनीय आधार पर बेहतर बनाया जाना।

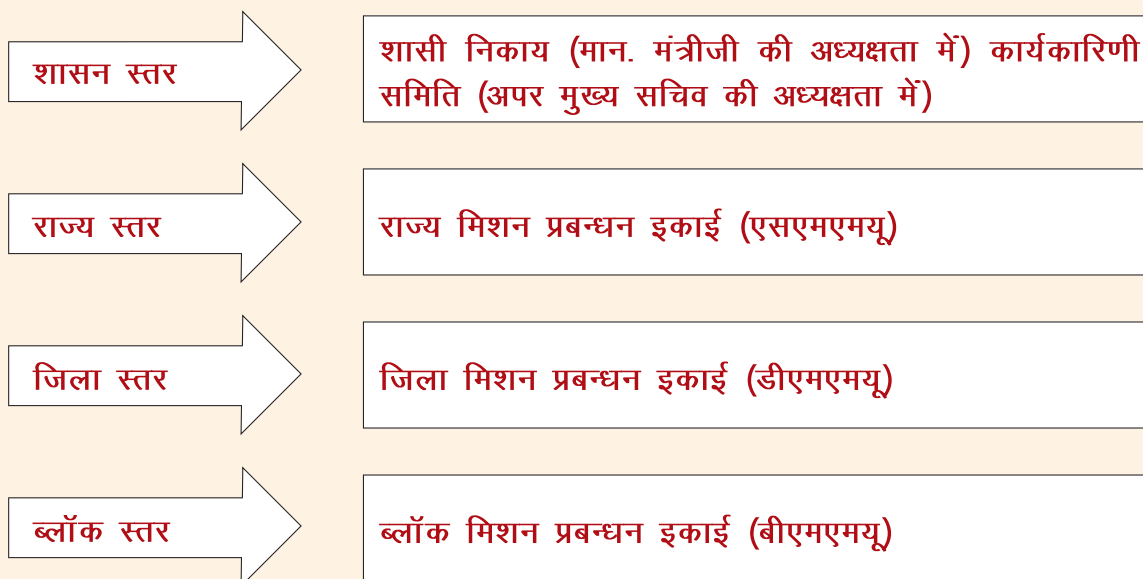
पात्रता :

सहभागिता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित अति गरीब एवं गरीब परिवार अथवा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 के अनुसार लक्षित परिवार।

कार्यक्षेत्र :

प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में मिशन का सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मानव संसाधन संरचना :



- राज्य स्तर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के 21 स्वीकृत पद भरे हुए हैं।
- जिला स्तर : जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के 389 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 295 पद भरे हुए हैं।
- विकासखण्ड स्तर : मिशन में विकासखण्ड स्तर पर मैदानी अमले के 1565 स्वीकृत पद के विरुद्ध 1452 पद भरे हुए हैं।

विशेषतार्यः

सामुदायिक संस्थान गठन एवं विकास :

- महिला स्व-सहायता समूह का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाता है। गांव की 10 से 20 महिलाओं का समूह जो समान सोच रखते हों एवं गरीबी से बाहर आने हेतु संगठित होकर प्रयास करना चाहते हैं।
- स्व-सहायता समूहों के गठन पश्चात ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद स्व सहायता समूह भागीदारी करते हैं एवं समूह के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य करते हैं। संकुल स्तरीय संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम संगठन भागीदारी करते हैं।

वित्तीय समावेशन :

चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग किया जाता है।

आजीविका :

समूहों को शासन की अन्य योजनाओं से समन्वय/अभिसरण कर पात्रतानुसार लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। समूह सदस्यों को कृषि, पशुपालन, गैर कृषि आधारित एवं विभिन्न प्रकार की अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

कौशल विकास एवं रोजगार :

ग्रामीण युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं नियोजन।
- आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार स्थापना।
- रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

उपलब्धि वर्ष 2020-21 (अद्यतन स्थिति)

- 3,44,140 परिवारों की महिला सदस्यों को 30,307 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 2,221 ग्राम संगठन बनाए गए हैं, जिनमें 30,895 स्व-सहायता समूहों की सदस्यता है।
- 122 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) बनाए गए हैं।
- कुल 32,652 स्व-सहायता समूहों को रु. 37.32 करोड़ की चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) की राशि प्रदाय की गई है। कुल 11,522 स्व-सहायता समूहों को रु. 76.18 करोड़ का सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) की राशि प्रदाय की गई है।
- ऑनलाईन समूह ऋण प्रकरण जमा करने तथा स्वीकृति प्राप्त करने में मध्यप्रदेश, भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में 73,689 समूहों को रु. 981 करोड़ का बैंक ऋण दिलाया गया है।
- रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रम अंतर्गत 66,592 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को डी.डी.यू.जी.के.वाई. के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, रोजगार मेला तथा आरसेटी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।



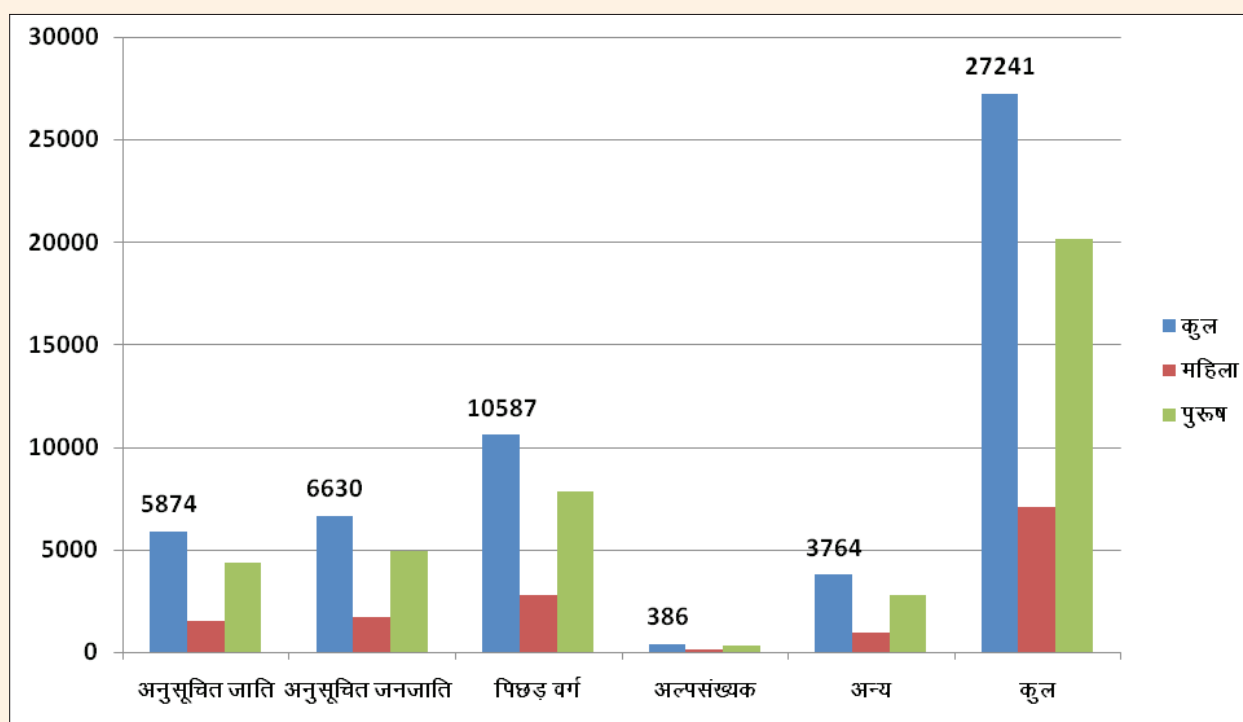
समूह की बैठक



सीएलएफ की बैठक

वित्त वर्ष 2020-21 में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (युवा संख्या) :

रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम



मुख्य आजीविका गतिविधियां

- 2 लाख 49 हजार परिवारों को कृषि तथा पशुपालन आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- 50,416 कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम कार्यों यथा सेनेटरी नैपकिन, सिलाई, लघु वन उपज का प्रसंस्करण, हथकरघा इत्यादि से जुड़कर 45 हजार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
- 3,87,769 आजीविका पोषण वाटिका (Nutrition Garden) तैयार की गई हैं।



हथकरघा गतिविधि



आजीविका पोषण वाटिका

एनआरईटीपी (National Rural Economic Transformation Project) :

वर्ष 2019-20 से नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफोरमेशन प्रोजेक्ट (एनआरईटीपी) का प्रारंभ किया गया है जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं जिसमें विश्व बैंक का भी अंश है। इसका क्रियान्वयन प्रदेश के 18 जिलों के 97 विकासखण्डों किया जा रहा है।

इस वित्त वर्ष में एनआरईटीपी के अंतर्गत 35 मॉडल सीएलएफ तैयार किये गये हैं। इन मॉडल सीएलएफ एवं सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को इस वित्त वर्ष में कुल 4.99 करोड़ राशि अधोसंरचना निधि एवं Viability Fund के रूप में प्रदाय की गई है। इन जिलों में 378 उत्पादक समूहों को गठित किया गया है, जिनमें 5,536 महिलाओं को जोड़ा गया है। 326 जैविक कलस्टर भी तैयार किये गये हैं। गैर कृषि गतिविधियों के अंतर्गत 27 सीएलएफ को 6.75 करोड़ की राशि सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) प्रदाय की गई है।

- सीधी, सिंगरौली, मण्डला एवं डिण्डौरी में कोदो कुटकी के प्रसंस्करण हेतु कार्य प्रारंभ।
- जिला छिन्दवाड़ा में मक्का एवं जिला मुरैना में बाजरा के उपार्जन एवं विपणन हेतु कार्य प्रारंभ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना :

राशि रु. 10,000 तक ब्याज रहित ऋण प्रदाय हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना प्रारंभ की गई है। प्रारंभिक रूप में 1 लाख पथ विक्रेता हितग्राही लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 12.11 लाख पंजीकृत प्रकरण हैं, जिसमें से 81,319 प्रकरणों का वितरण हुआ है।

विशेष उपलब्धियां:

- महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हैन्डवॉश तथा पी. पी.ई.-किट बनाने हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित किया जाकर आय के साधन से जोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्र में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 1 करोड़ 27 लाख मास्क, 1,02,103 लीटर सैनिटाइजर, 19,376 लीटर हैन्ड वॉश एवं 2,39,593 लाख साबुन बनाये जाकर विक्रय किये गये हैं। समूह की महिलाओं द्वारा 1.16,537 लाख सुरक्षा किट (पी.पी.ई.-किट) तैयार की गई हैं।
- बीसी सखी द्वारा जन धन खाता धारकों एवं अन्य बैंकिंग सेवाएं हेतु रु. 133 करोड़ से अधिक का व्यापार (Transaction) किया गया।
- FNHW पर 18 जिलों में कार्य प्रारंभ किया गया है। जिला एवं जनपद कर्मियों तथा 197 समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

- 02 लोक अधिकार केंद्र प्रारंभ किये गये।
- कोरोना काल में 23.52 लाख व्यक्तियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 23.29 लाख समूह सदस्यों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय उपलब्धि :

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनआरएलएम हेतु प्रावधानित राशि रु. 455 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 364 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। मिशन अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध राशि रुपये 362 करोड़ माह जनवरी 2021 तक व्यय (अनुमानित) हुआ है।

नवाचार/पहल :

- (1) प्रदेश के जिलों में 50 शासकीय कार्यालयों में दीदी कैफे प्रारंभ किए गए हैं, जहां पर समूह सदस्यों द्वारा कार्यालयों में चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था कर आय अर्जित की जाती है।
- (2) 25 विकासखण्डों में उत्पादक कंपनियों के गठन का कार्य प्रारंभ किया गया है। इन कंपनियों के गठन का कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण हो जायेगा।
- (3) प्रदेश के 27 जिलों में नाबार्ड के सहयोग से समूह उत्पादन विपणन हेतु आजीविका मार्ट प्रारंभ किया गए हैं।



आजीविका फ्रेश



सीटीसी



मास्क निर्माण



आजीविका फ्रेश

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरशेड विकास

परिचय :

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास के सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2009 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) प्रारंभ किया था, जिसे जुलाई 2015 से “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” में समाहित कर “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरशेड विकास” नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बहुआयामी दृष्टिकोण नवीन जल स्रोतों के सृजन, जल के समुचित वितरण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग को समाहित कर अभिकल्पित किया गया है। “वाटरशेड विकास” की अवधारणा इस दृष्टिकोण की पूर्ति करती है। “वाटरशेड विकास” ऐसी योजना है जिसमें कम लागत से नवीन जल स्रोतों का सृजन किया जा सकता है। साथ ही जल का वितरण और संरचनाओं का प्रबंधन ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं किये जाने के कारण दक्षतापूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. के अध्याधीन वर्ष 1998 से म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है। मिशन के संचालन का दायित्व संचालक को सौंपा गया है, जो वर्ष 2009-10 से नवीन परियोजना “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरशेड विकास” के राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी है। विकास आयुक्त राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अध्यक्ष है। संचालक, मिशन को राज्य शासन के विभागाध्यक्ष के समस्त अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

उद्देश्य :

- वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा सिंचाई सामर्थ्य में विस्तार करना।
- पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना।

विशेषताएँ :

प्रदेश में लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र गैर सिंचित है। इन क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, असमय सूखा और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण खेती कम उत्पाद का व्यवसाय होता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा संरक्षित सिंचाई से और खेती संबंधी यथोचित आदानों एवं प्रौद्योगिकी के प्रदाय से खेती से होने वाली आय बढ़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में वाटरशेड विकास की योजना सिंचाई सामर्थ्य विकसित कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी और इस प्रकार अपेक्षित ग्रामीण समृद्धता के लिए उपयोगी योजना है। योजना की रणनीति जन सहभागिता केन्द्रित है तथा कार्यप्रणाली सामुदायिक संगठन आधारित है। ग्राम स्तर पर कृषकों के उपयोगकर्ता दल, संसाधन हीन एवं गरीब ग्रामीणों के स्वसहायता समूहों और वाटरशेड समिति गठित कर उन्हें परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, जनित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा अनुश्रवण संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

कार्यक्षेत्र व वित्तीय स्रोत :

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कुल मिलाकर वर्तमान में 128 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 7.36 लाख हेक्टेयर तथा लागत रुपये 883.04 करोड़ है।

स्वीकृत परियोजनाओं की कार्य अवधि वर्ष 2021-22 में पूर्ण हो जायेंगी। योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत रु. 12000/- प्रति हेक्टर है। योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है।

किये जाने वाले कार्य :

- मिट्टी के संरक्षण हेतु कन्टूर ट्रेंच, मेढ़ बंधान, गली प्लग, लूज बोल्टर चेक आदि का निर्माण
- सतही जलसंग्रहण हेतु स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फार्म पौण्ड, डग आउट पौण्ड एवं बोरी बंधान आदि का निर्माण
- भू-जल संवर्धन हेतु परकोलेशन टैंक, कुण्डी कुइया, कुआं/नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाईक आदि का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धि

भौतिक उपलब्धि :

1 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी 2021 तक की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :-

• कुल निर्मित जल संवर्धन संरचनाओं की संख्या	—	4801
• चेकडेम	—	293
• फार्मपाण्ड	—	2995
• परकोलेशन टैंक	—	305
• नालाबंधान	—	109
• रिचार्ज शाफ्ट	—	383
• तालाब एवं अन्य	—	716
• विकसित सिंचाई सामर्थ्य	—	20797 हेक्टेयर
• लाभान्वित कृषक परिवार संख्या	—	22571

वित्तीय उपलब्धि :

1 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी 2021 तक की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश एवं अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय प्रगति	अवशेष राशि
182.87	85.74	57.16	325.77	275.22	50.55

चैकडेम निर्माण

विशेषताएं	सफल प्रयास - श्रीगोबिंद चैकडेम निर्माण
वर्षा जल संग्रहण एवं परकोलेशन से एकवीफर्स का रिचार्ज	आमखो, धार
2nd एवं 3rd आर्डर के नालों का चयन	श्रृंखलाबद्ध 13 चैकडेम - रु. 93.04 लाख
0.5 प्रतिशत से कम स्लोप के नालों में निर्माण	जल संग्रहण क्षमता - 1.40 लाख घन मीटर
भौतिक उपलब्धि	6 कि.मी. नदी लम्बाई में जलसंग्रहण
19005 चैकडेम - रु. 940.92 करोड़	विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 186.13 हेक्टेयर
जल संग्रहण क्षमता - 10 करोड़ 46 लाख घनमीटर	65 टयूबवेल एवं 39 सिंचाई कूप का रिचार्ज
विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 76562 हेक्टेयर	94 कृषक परिवार लाभान्वित
लाभान्वित कृषक परिवार - 87779	उत्पादकता में 8 से 10 किं./ हेक्टेयर की बढ़त
	प्रति कृषक परिवार औसतन 10 से 15 हजार वार्षिक आय में वृद्धि

विशेषताएं	खेत तालाब जिला सागर
वर्षा जल संग्रहण एवं परकोलेशन से एकवीफर्स का रिचार्ज	
2nd एवं 3rd आर्डर के नालों का चयन	
0.5 प्रतिशत से कम स्लोप के नालों में निर्माण	
भौतिक उपलब्धि	
19005 चैकडेम - रु. 940.92 करोड़	
जल संग्रहण क्षमता - 10 करोड़ 46 लाख घनमीटर	
विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 76562 हेक्टेयर	
लाभान्वित कृषक परिवार - 87779	

रिचार्ज शाफ्ट - बोरवेल और नलकूपों के रिचार्ज हेतु

विशेषताएं	सफल प्रयास - वि.ख. फन्दा जिला भोपाल
गहरे एक्विफर्स जिनमें बोरवेल व नलकूप होते हैं उनके रिचार्ज के लिए सबसे प्रभावी और उत्तम तकनीक	4 रिचार्ज शाफ्ट - रु. 5.40 लाख
औसत लागत - Rs 1.20 से 1.50 लाख	भू-जल स्तर में 1.90 मीटर की वृद्धि
भौतिक उपलब्धि	63 टयूबवेल एवं 27 सिंचाई कूप का रिचार्ज
525 रिचार्ज शाफ्ट - रु. 5.32 करोड़	विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 180 हेक्टेयर
जल संग्रहण - 4 करोड़ 78 लाख घनमीटर	नेशनल वाटर अवार्ड 2018 - प्रथम पुरस्कार
विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 39816 हेक्टेयर	
लाभान्वित कृषक परिवार - 47779	

चैक डैम निर्माण और अप स्ट्रीम के चौड़ीकरण / गहरीकरण के संयोजन से जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि

विशेषताएं	सफल प्रयास - कोल्हास, भोपाल
2 nd एवं 3 rd आर्डर नालों का चयन	19.80 किलोमीटर नाले में कार्य
Induces Ground Water Recharge	अतिरिक्त जल भंडारण - 7,06,838 घनमीटर
गहराई हेतु नाले की लम्बाई का निर्धारण सरफेस रन ऑफ गणना के आधार पर	250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जल जमाव समस्या का समाधान
चैकडेम की जल भण्डारण क्षमता वृद्धि	आस-पास के सभी नलकूपों का Recharge
	130 से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ
	महिन्दा एण्ड महिन्दा द्वारा CSR फंड का अभिसरण

खेत तालाब - रबी में सुनिश्चित सिंचाई

विशेषताएं	सफल प्रयास - जिला सागर
जल संग्रहण क्षमता - न्यूनतम 3500 घनमीटर	1163 खेत तालाब - रु. 18.35 करोड़
रबी की फसल में सुनिश्चित सिंचाई हेतु आदर्श विकल्प	जल संग्रहण क्षमता - 45.70 लाख घ.मी.
उपलब्ध भूमि की मात्रा, मिट्टी के प्रकार और किसान की पानी की आवश्यकता के आधार पर आकार निर्धारण	भू-जल स्तर - 1.5 से 2 मीटर वृद्धि
भौतिक उपलब्धि	रबी हेतु विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 3656.12 हेक्टेयर
11514 खेत तालाब - रु. 262.08 करोड़	जायद हेतु विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 31.15 हेक्टेयर
जल संग्रहण क्षमता - 4 करोड़ 03 लाख घनमीटर	उत्पादकता में वृद्धि - औसतन 13 से 15 किं./ हेक्टेयर
विकसित सिंचाई सामर्थ्य - 32582 हेक्टेयर	फसल उत्पादकता - 31.50 किं./ हेक्टेयर
लाभान्वित कृषक परिवार - 16105	रबी फसल का अतिरिक्त उत्पादन - 47679 किं.
	अतिरिक्त आय - लगभग 9 करोड़ 10 लाख
	एक फसली से दो फसली क्षेत्र परिवर्तन - 731.22 हेक्टेयर
	लाभान्वित कृषक परिवार - 1405
	नेशनल वाटर अवार्ड 2019 - प्रथम पुरस्कार वा.प. विपरीत भोपाल जिला सागर
	नेशनल वाटर अवार्ड 2019 - तृतीय पुरस्कार जिला सागर

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2004 से परिवर्तित मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेनू अनुसार प्रदाय किये जाने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण काल में शालाएँ बंद होने के कारण विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदाय किया जा रहा है।

प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय एवं नोडल विभाग है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा इसका पर्यवेक्षण, नियंत्रण व अनुश्रवण किया जाता है। परिषद का गठन 14/02/2007 को किया गया था, जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

साधारण सभा

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु परिषद अंतर्गत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में साधारण सभा का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / विकास आयुक्त सभा के उपाध्यक्ष होते हैं। सभा के सदस्यों में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त पंचायत / नगरीय प्रशासन / आदिम जाति / राज्य शिक्षा केन्द्र / सहकारिता एवं प्रबंध संचालक एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन आदि होते हैं।

साधारण सभा का मुख्य कार्य केन्द्र शासन और राज्य शासन के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सफल आयोजना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन प्रशासन एवं प्रबंधन के संबंध में नीति निर्धारित करना, निर्णय लेना एवं इनका अनुपालन कराना है।

कार्यकारणी समिति

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यकारणी समिति का गठन किया गया है, तथा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष होते हैं। कार्यकारणी समिति के सदस्यों में सचिव आदिम जाति / वित्त / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / खाद्य / ग्रामीण विकास एवं आयुक्त पंचायत / आदिवासी विकास / स्वास्थ्य सेवाएं / खाद्य / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग / राज्य शिक्षा केन्द्र तथा प्रबंध संचालक एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन आदि होते हैं।

समिति का मुख्य कार्य परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित प्रशासनिक ढांचे तथा विभिन्न अकादमिक, प्रशासनिक, प्रबंधन व अन्य स्वरूप के पदों पर नियुक्ति करना और इनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना है, इसके साथ ही कार्यकारणी समिति द्वारा उसे सौंपे गये प्रशासनिक, वित्तीय, एवं तकनीकी शक्तियों का उपयोग किया जाता है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उनके पोषण स्तर में सुधार किये जाने के साथ-साथ शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरंतरता सुनिश्चित किया जाना भी है।

प्रदेश में कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई	(प्राथमिक शाला के लिए कच्चा खाद्यान्न)।
गर्म पका हुआ भोजन	जनवरी, 2004 से (केवल प्राथमिक शाला)
पिछड़े शैक्षणिक विकास खण्डों में प्रारम्भ समस्त	अक्टूबर, 2007 (माध्यमिक शाला)
माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम का विस्तार	वर्ष 2008 से।

राज्य स्तर से निम्नानुसार साप्ताहिक मेनू कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित है—

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैकल्पिक साप्ताहिक मेनू :—

सप्ताह का दिन	मेनू
सोमवार	रोटी/चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी/चावल के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी
शुक्रवार	रोटी/चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी
शनिवार	पराठा/पुलाव के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी

केन्द्रीयकृत रसोईघर का मेनू :—

सप्ताह का दिन	मेनू
सोमवार	वेजीटेबल पुलाव तथा कढ़ी पकौड़ा।
मंगलवार	पूरी तथा छोले/मटर की सब्जी एवं खीर/हलवा।
बुधवार	जीरा राईस तथा मिक्स सब्जी एवं तुअर दाल।
गुरुवार	रोटी तथा सोया चंक्स/मूंग या चना बड़ी एवं आलू की सब्जी तथा तुअर दाल।
शुक्रवार	खिचड़ी (मूंग की दाल के साथ) तथा आलू मटर एवं टमाटर की सब्जी।
शनिवार	रोटी तथा ग्रीन मिक्स सब्जी एवं मिक्स दाल।

कार्यक्रम का लक्ष्य :—

प्रदेश की 1.13 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग 71000 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 2.18 लाख रसोईयों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है।

शालाएँ			विद्यार्थी (लाख में)		
प्राथमिक	माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल
81843	31217	1,13,060	38.79	24.68	63.47

शाला का स्तर	उर्जा का कैलोरी	प्रोटीन
प्राथमिक	450	12—13 ग्राम
माध्यमिक	700	20—21 ग्राम

भोजन के पोषण मानक :-

संसाधन (दिनांक 01.04.2020 से प्रभावशील)

क.	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस (राशि रुपये में)		कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1	प्राथमिक	100 ग्राम	2.98	1.99	4.97
2	माध्यमिक	150 ग्राम	4.47	2.98	7.45

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार लक्ष्य एवं वास्तविक प्रगति -

स. क.	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		प्रगति (31.01.2021 की स्थिति में)			
		भौतिक प्रावधान	वित्तीय प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य आवंटन	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शालाओं की संख्या (लाख में)	1.13	—	1.13	1.13	—	—
2	विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	47.61	—	47.61	63.46	—	—
3	रसोईयों की संख्या (लाख में)	2.18	— —	2.18	2.18	—	—
4	भोजन पकाने की लागत राशि	—	84349.35	—	—	53701.48	44017.90
5	रसोईयों का पारिश्रमिक	2.18	21812.50	2.18	2.18	11388.14	8402.92
6	खाद्यान्न की मात्रा एवं लागत राशि (लाख में)	1.28	3127.61	1.57	1.49	1775.78	1775.78
7	खाद्यान्न परिवहन की लागत राशि	—	1915.18	—	—	746.49	746.49
8	एमएमई की राशि	—	1588.03	—	—	775.88	675.31
Recurring total		—	112792.67	—	—	68387.77	55618.40
9	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (नवीन)	1919	5091.30	1919	0.00	0.00	0.00
10	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (रिपेयरिंग)	20591	2059.10	20591	0.00	0.00	0.00
11	बर्तन क्रय (नवीन)	—	0.00	—	—	0.00	0.00
12	बर्तन रिप्लेसमेंट	42638	5410.25	42638	0	0.00	0.00
13	Flexible Fund (Supplementary Nutrition)	—	4851.46	—	—	0.00	0.00
	Flexible Fund (school Nutrition Gardens Sng@ Rs5000 each)	—	0.00	—	—	0.00	0.00
14	किचिन गार्डन	—	0.00	—	—	0.00	429.40
Non Recurring Total		—	17412.11	—	—	0.00	429.40
योग		—	130204.78	—	—	68387.77	56047.80

वर्ष 2020-21 (31/01/2021 की स्थिति में) में प्रदेश की 1.13 लाख (प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं) में दर्ज 63.47 लाख बच्चों को खाद्यान्न एवं सूखा राशन (दाल एवं तेल) प्रदाय किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिये 47.61 लाख छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कोविड -19 के कारण शालाएँ बंद होने से लक्षित शालाओं में समस्त दर्ज 66.27 लाख छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता में भोजन पकाने की राशि माह अप्रैल से जुलाई 2020 तक 99 दिवसों हेतु रु 400.48 करोड छात्रों/ अभिभावकों के बैंक खातों में मान. मुख्यमंत्री जी के द्वारा DBT के माध्यम से प्रदाय की गई। अप्रैल से नवम्बर 2020 तक खाद्यान्न 1.49 लाख मैट्रिक टन, महिला स्व सहायता समूह एवं NGO के माध्यम से छात्रों को घर-घर जाकर वितरण किया गया। अगस्त से अक्टूबर 2020 के 73 शैक्षणिक दिवसों हेतु प्राथमिक शाला के प्रति छात्र को 2 किलोग्राम दाल एवं 532 ग्राम सोयातेल तथा माध्यमिक शाला के प्रति छात्र को 3 किलोग्राम दाल एवं 783 ग्राम सोयातेल सूखा राशन के रूप में वितरण कराया गया।

कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नानुसार है -

1. खाद्यान्न
2. खाद्यान्न की परिवहन राशि
3. भोजन पकाने की लागत राशि
4. रसोईयों का मानदेय
5. एमएमई (मॉनीटरिंग मैनेजमेंट एवं इवेल्युएशन)

खाद्यान्न भारत सरकार से बीपीएल दरों पर चावल/गेहूं प्राप्त होता है। खाद्यान्न की परिवहन राशि रुपये 75 प्रति क्विंटल निर्धारित है। रसोईयों को प्रतिमाह 01 अक्टूबर 2018 से मानदेय रुपये 2000 उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है। कुल केन्द्रीय आवंटन का 2.7 प्रतिशत एमएमई मद के अंतर्गत प्राप्त होता है।

दूध प्रदाय योजना-

1. **उद्देश्य** - प्राथमिक शालाओं/आंगनवाड़ियों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त न्यूट्रीएंट प्रदान कर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना एवं उपस्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि करना तथा छात्रों में शिक्षा के प्रति अपेक्षित रुचि एवं उत्साह पैदा करना।
2. **लक्ष्य** - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों को प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को भोजन वितरण से लगभग दो-तीन घण्टे पूर्व मीठा, सुगंधित दूध 02 फ्लेवरों (चॉकलेट एवं इलायची) लक्षित प्राथमिक शाला हेतु 29.73 लाख बच्चे एवं आंगनवाड़ियों के 26.60 लाख बच्चों को प्रति बच्चे को 10 ग्राम दुग्ध पावडर में 100 एमएल गुनगुने पानी को मिलाकर तरल दूध तैयार कर प्रदाय किया जाता है।
3. **वित्त पोषण** - दूध प्रदाय पर व्यय हो रही राशि का शतप्रतिशत प्रदाय राज्य बजट से किया जा रहा है। दूध पावडर की दर 241 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है।
4. **दूध का सेम्पल रखा जाना** - प्रत्येक शाला स्तर पर भोजन के सेम्पल की तरह ही दूध पावडर से तैयार दूध का सेम्पल रखे जाने के निर्देश हैं।
5. **मूल्यांकन** - दूध वितरण योजना के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु शाला स्तर पर प्रभारी शिक्षक, संकुल स्तर पर जन शिक्षक, खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व बीआरसी, जिला स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, योजना के प्रभारी अधिकारी/टास्क मैनेजर/क्वालिटी मॉनीटर, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त आयुक्त (विकास) एवं राज्य स्तर से परिषद् के अधिकारी समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण, अनुश्रवण करेंगे।

योजना अंतर्गत किचिनशेड निर्माण — योजना अंतर्गत 99632 किचिनशेड स्वीकृत किये गये जिसमें से 97,347 किचिनशेड पूर्ण एवं 2285 किचिनशेड प्रगतिरत हैं।

किचिनशेड कम डायनिंग हॉल निर्माण — योजनांतर्गत मनरेगा से अभिसरण कर किचिनशेड कम डायनिंग हॉल निर्माण के 282 कार्य राशि रु 2359.64 लाख के स्वीकृत किये गये। जिसमें मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की राशि रु 941.92 लाख एवं मनरेगा अभिसरण की राशि रु 1417.72 लाख शामिल होकर कार्य प्रगतिरत है।

अभिनव प्रयास —

1 — मां की बगिया (शाला पोषण वाटिका) — मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शालाओं में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किये जाने के लिए शाला में पोषण वाटिका बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पोषण वाटिका का नाम मां की बगिया रखा गया है, जिससे कि वाटिका के प्रति बच्चों का सहज लगाव हो सके। मां की बगिया में शाला परिसर अथवा निकटतम उपलब्ध स्थल पर स्व सहायता समूह/शाला प्रबंधन समिति द्वारा बच्चों को संलग्न करते हुए ताजी सब्जियों एवं फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग प्रतिदिन बच्चों के लिए बनाए जाने वाले मध्यान्ह भोजन में किया जावेगा। इस प्रकार उत्पादित सब्जी एवं फल ताजे एवं शुद्ध आर्गेनिक होते हैं, जो कि कुपोषण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक हैं। मां की बगिया (शाला पोषण वाटिका) बच्चों में बागवानी एवं प्रकृति के प्रति रुचि भी जागृत करती है। वर्तमान में कोविड काल में मां की बगिया में उत्पादित फलों एवं सब्जियों का वितरण बच्चों के मध्य किया जा रहा है।

मां की बगिया का निर्माण हेतु मध्यान्ह भोजन की राशि रु. 5000 के साथ मनरेगा के तहत अभिसरण कर 452 शालाओं में मां की बगिया का कार्य प्रगतिरत है।



किचन शेड निर्माण



मां की बगिया (पोषण वाटिकाएँ)

वर्ष 2019-20 में 8662 मां की बगिया हेतु रु. 423.10 लाख की राशि शाला प्रबंधन समितियों को राज्य स्तर से प्रदाय की गई जिसमें से 7135 मां की बगिया के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2020-21 में 8588 मां की बगिया (पोषण वटिका) हेतु राशि रु 429.40 लाख शाला प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई हैं।

2- पुरस्कार की व्यवस्था – स्वच्छ किचिनशेड प्रतियोगिता के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक जिले में तीन पुरस्कार 50000/- प्रथम, 30,000/- द्वितीय व 20,000/- तृतीय पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पदीय संरचना एवं स्थिति

क्र.	पदनाम	स्वी. पद	भरे पद	रिक्त पद	नियुक्ति की प्रक्रिया
राज्य स्तर					
1	राज्य समन्वयक	1	1	0	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदस्थापना
2	अतिरिक्त संचालक	1	0	1	प्रतिनियुक्ति
3	संयुक्त आयुक्त (आयोजना तथा क्रियान्वयन)	1	1	0	प्रतिनियुक्ति
4	संयुक्त आयुक्त (संसाधन प्रबंधन तथा अनुश्रवण)	1	0	1	प्रतिनियुक्ति
5	उपायुक्त	1	1	0	प्रतिनियुक्ति
6	सहायक संचालक (वित्त)	1	1	0	प्रतिनियुक्ति
7	सहायक उपायुक्त	2	2	0	प्रतिनियुक्ति
8	सहायक यंत्री	1	0	1	प्रतिनियुक्ति
9	उपयंत्री	2	0	2	प्रतिनियुक्ति
10	प्रोजेक्ट मैनेजर (चाइल्ड हेल्थ)	1	1	0	प्रतिनियुक्ति / संविदा
11	मीडिया ऑफिसर	1	0	1	प्रतिनियुक्ति / संविदा
12	लेखाधिकारी	1	1	0	प्रतिनियुक्ति / संविदा
13	प्रोजेक्ट मैनेजर (मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग और इवेल्यूशन)	1	0	1	संविदा
14	प्रोजेक्ट मैनेजर (न्यूट्रीशन)	1	1	0	संविदा
15	प्रोजेक्ट मैनेजर (जेण्डर इक्विटी एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट)	1	0	1	संविदा
16	क्वालिटी मॉनीटर	1	1	0	संविदा
17	लेखापाल	1	1	0	प्रतिनियुक्ति / संविदा
18	सिस्टम एनालिस्ट एवं एमआईएस मैनेजर	1	1	0	संविदा
19	कार्यक्रम सहायक	3	2	1	प्रतिनियुक्ति
20	शीघ्र लेखक	4	4	0	सीधी भर्ती / संविदा

क्र.	पदनाम	स्वी. पद	भरे पद	रिक्त पद	नियुक्ति की प्रक्रिया
21	ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5	5	0	सीधी भर्ती / संविदा
22	भृत्य	3	3	0	सीधी भर्ती / संविदा
योग —		35	26	09	
राज्य स्तर पर 01 सिस्टम एनालिस्ट, 04 शीघ्रलेखक, 01 लेखापाल, 05 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 01 भृत्य के रिक्त पद पर आउटसोर्स कर्मी कार्यरत है।					
जिला स्तर					
23	टास्क मैनेजर	52	28	24	संविदा
24	क्वालिटी मॉनीटर	96	40	56	संविदा
25	कम्प्युटर ऑपरेटर	48	34	14	संविदा
योग —		196	102	94	
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अधिकार दिये गये हैं।					

खादय सुरक्षा भत्ता अंतर्गत



सूखा राशन (दाल एवं तेल) वितरण



75 अतिकुपोषित विकासखंडों में चिककी वितरण

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन

विजन : अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेश पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के संकुलों (क्लस्टरों) को रूरुन गांवों के रूप में विकसित करना।

उद्देश्य :

- ग्रामीण शहरी अंतर अथ
- ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात् आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को कम करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्रों में विकास कार्यों का व्यापक प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

रूरुन संकुल क्या है : रूरुन मिशन के अंतर्गत दो प्रकार के संकुल होंगे।

- ▶▶ गैर जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 25,000 से 50,000 हो।
- ▶▶ जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 5,000 से 15,000 हो।
- ▶▶ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संकुल की समस्त ग्राम पंचायतों को एक ही जनपद में सम्मिलित किया जाता है।

रूरुन संकुल के चयन हेतु मापदंड :

गैर जनजातीय संकुल का चयन	जनजातीय संकुल का चयन
<ul style="list-style-type: none"> ● दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में वृद्धि। ● भूमि की कीमतों में वृद्धि। ● दशक के दौरान गैर-कृषि कार्यों की भागीदारी में वृद्धि। ● माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन के प्रतिशत में वृद्धि। ● प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों वाले परिवारों का प्रतिशत। ● स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में निष्पादन। ● ग्राम पंचायत द्वारा शुरू की गई सुशासन की पहलें। 	<ul style="list-style-type: none"> ● दशक के दौरान जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि। ● जनजातीय साक्षरता दरों में वृद्धि। ● दशक के दौरान गैर-कृषि कामगारों की भागीदारी में वृद्धि।

कार्यक्षेत्र : रूरुन मिशन अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिलों के 19 संकुल (11 जनजातीय तथा 08 गैर जनजातीय) की 161 ग्राम पंचायतों के 336 ग्रामों को निर्धारित मापदंडों अनुसार चयनित किया गया है

मध्य प्रदेश में चयनित रुर्बन संकुल

प्रथम चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	भोपाल	फंदा	रातीबड	गैर जनजातीय	13	26,460
2	भोपाल	बैरसिया	गुनगा	गैर जनजातीय	12	29,072
3	इंदौर	इंदौर	नावदापंथ	गैर जनजातीय	07	25,592
4	इंदौर	महू	सिमरौल	गैर जनजातीय	05	30,800
5	छतरपुर	छतरपुर	अच्छट	गैर जनजातीय	12	29,927
6	सिवनी	सिवनी	कान्हीवाडा	जनजातीय	07	17,902
7	छिन्दवाडा	तामिया	देलाखाडी	जनजातीय	10	19,636
	कुल योग				66	1,79,389

द्वितीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	ग्वालियर	घाटीगांव	मोहना	गैर जनजातीय	03	28,243
2	ग्वालियर	डबरा	चीमक	गैर जनजातीय	13	25,216
3	रीवा	हनुमना	गौरी	गैर जनजातीय	11	25,557
4	धार	धार	गुनावद	जनजातीय	14	26,473
5	झाबुआ	पेटलावाद	मोहनकोट	जनजातीय	08	25,142
6	बैतूल	शाहपुर	देशावाडी	जनजातीय	07	22,000
	कुल योग				56	1,79,389

तृतीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	झाबुआ	मेघनगर	गुवाली	जनजातीय	05	18,248
2	खण्डवा	पंधाना	आरुद	जनजातीय	06	15,892
3	अनुपपुर	पुष्पराजगढ	किर्गी	जनजातीय	09	16,695
4	सिंगरौली	देवसर	कुर्सा	जनजातीय	05	15,570
5	अलीराजपुर	अलीराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	जनजातीय	07	16,291
6	मण्डला	बिछिया	रामनगर	जनजातीय	07	15,738
	कुल योग				39	98,434

मिशन के अंतर्गत वांछनीय घटक

क्र.	घटक	क्र.	घटक
1	कौशल विकास प्रशिक्षण	9	स्ट्रीट लाईट
2	कृषि सेवाएं एवं प्रसंस्करण	10	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
3	स्वास्थ्य	11	नागरिक सेवा केन्द्र उपलब्ध कराना
4	विद्यालयों एवं शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन	12	गांवों के बीच सड़क संपर्क
5	24X7 पाइप द्वारा जलापूर्ति	13	ग्रामीण नालियां तथा गलियां का आवर्धन
6	सार्वजनिक परिवहन	14	एल.पी.जी गैस कनेक्शन
7	विशेष सामाजिक अधोसंरचना	15	पर्यटन
8	डिजिटल साक्षरता		

राज्य स्तरीय साधिकार समिति :

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समस्त प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी शक्तियों के निर्धारण किये जाने हेतु राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है। साधिकार समिति में शामिल सदस्यों की संरचना निम्नानुसार है

- मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/राज्य कार्यक्रम अधिकारी/संचालक – वित्त विभाग, योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग, राजस्व, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पंचायती राज, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण रोजगार विकास विभाग – सदस्य

चरणों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति : (रु.लाख में)

क्र.	रुर्बन घटक	क्रियान्वयन एजेंसी	प्रगतिरत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृत कार्य	प्रगतिरत कार्यों की वित्तीय प्रगति
1	पाइप द्वारा जलापूर्ति	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6504.557	4358.053
2	विद्यालयों का उन्नयन	ग्राम पंचायत एवं शाला प्रबंधन/विकास समिति	4920.739	2146.759
3	सार्वजनिक परिवहन	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	692.210	356.790
4	विशेष सामाजिक अधोसंरचना	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1751.360	880.680
5	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	790.815	436.186
6	नालिया युक्त सी.सी सड़क	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1667.439	771.719

क्र.	रुर्बन घटक	क्रियान्वयन एजेंसी	प्रगतिरत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृत कार्य	प्रगतिरत कार्यों की वित्तीय प्रगति
7	कृषि सेवाएं एवं प्रसंस्करण	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उद्यानिकी एवं ग्राम पंचायत	2920.420	1693.844
8	कौशल विकास	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	105.200	31.560
9	डिजिटल साक्षरता	जिला ई – पंचायत समिति	76.960	34.632
		कुल योग	19408.499	10675.591

रुर्बन मिशन के तहत विभिन्न कार्य जैसे पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान, कौशल विकास अंतर्गत पलाई ऐश ट्रेनिंग सेंटर, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा भण्डारण और वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय/ उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना ई – ग्राम कनेक्टिविटी के लिए लोक सेवा केंद्र जैसे कार्य प्राथमिकता या सामुदायिक मांग के आधार पर किये जाते हैं।



मल्लीपर्स हाल, रंगवासा ग्राम पंचायत, नावदापंथ संकुल, जिला इंदौर



सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत मनीखेडी, गुनगा संकुल, जिला – भोपाल जिला



बास्केटबाल कोर्ट निर्माण नावदापंथ संकुल, जिला इंदौर



वॉली बाल मैदान निर्माण बाउंड्री वाल सहित – कान्हीवाडा ग्राम पंचायत कान्हीवाडा संकुल जिला सिवनी

रुर्बन मिशन अंतर्गत निर्मित संरचनाओं के छायाचित्र



स्मार्ट कक्ष निर्माण – कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत
कान्हीवाड़ा संकुल जिला सिवनी



उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण – ग्राम पंचायत
बरखेड़ा नाथू रातीबड संकुल जिला भोपाल



चेक डैम निर्माण ग्राम पंचायत नन्दगायकलां
अच्छट संकुल जिला छत्तरपुर



सीताफल ग्रेडिंग सेंटर इन्दरसिंग की चौकी
संकुल, जिला अलीराजपुर

रुर्बन मिशन अंतर्गत निर्मित संरचनाओं के छायाचित्र



शौचालय निर्माण नावदापंथ संकुल, जिला इंदौर



पशु औषधालय निर्माण छीमक संकुल जिला ग्वालियर



यात्री प्रतीक्षालय निर्माण ग्राम पंचायत जूनापानी गुनगा संकुल जिला बैरसिया जिला भोपाल



जलापूर्ति हेतु टंकी निर्माण गुनावद संकुल जिला धार

भोपाल हाट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत भोपाल हाट का निर्माण वर्ष 2005 में पूर्व में संचालित एसजीएसवाय योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत किया गया है। जिसका पंजीयन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 क्र.44) के अधीन दि. 18/9/2006 को पंजीकृत क्र. 01/01/01/16830/06 के अंतर्गत है। वर्तमान में यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समाहित की गई है। भोपाल हाट की परिकल्पना के मुख्य स्वरूप में भोपाल हाट का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं सीधे बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती जा रही है एवं समूहों को सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। भोपाल हाट में आयोजित मेलों के माध्यम से स्व सहायता समूह उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं।

भोपाल हाट के नियमित मेलों के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण किया जाता है। जिसमें प्रतिमाह 15 से 20 दिन के मेले आयोजित किये जाने का प्रावधान है एवं प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रयोजित रीजनल सरस मेले (वर्ष में दो बार) का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रदेश के साथ-साथ देश के सभी प्रांतों के स्व सहायता समूह भाग लेते हैं। भोपाल हाट के संचालन हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से एक मुश्त 75.00 लाख रुपये प्राप्त होने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एम्पोरिया से प्राप्त राशि/एटीएम से प्राप्त किराया राशि/फूडजोन से प्राप्त किराया राशि/अन्य विभागों को भोपाल हाट मेले हेतु उपलब्ध कराने से प्राप्त किराया राशि आदि से भोपाल हाट में आयोजित किये जाने वाले मेलों का संचालन एवं भोपाल हाट का रख रखाव किया जाता है। भोपाल हाट का संचालन संचालक, ग्रामीण रोजगार पदेन प्रबंध संचालक, भोपाल हाट विपणन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। भोपाल हाट कार्यालय में उपायुक्त स्थापना पदेन उपायुक्त भोपाल हाट, तथा प्रभारी भोपाल हाट एवं विकास आयुक्त कार्यालय के लेखापाल के माध्यम से भोपाल हाट विपणन समिति के खातों का रखरखाव एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर/भृत्य/माली की सेवाएँ ली जा रही हैं। विभागीय मेलों के अतिरिक्त रिक्त समय में अन्य विभागों के मेले भी भोपाल हाट विपणन समिति में निर्धारित किराया दर के आधार पर उपलब्ध कराया जाकर मेले आयोजित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय एवं अन्य विभागों को मेला आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये भोपाल हाट में आयोजित मेलों का विवरण निम्नानुसार है :-

मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय	भाग लेने वाले प्रांतों की संख्या	म.प्र. के जिलों की संख्या	भाग लेने वाले समूहों की संख्या
दीपोत्सव मेला 2021	6 नवम्बर 2020 से 11 नवम्बर 2020 तक (6 दिवस)	क्षेत्रीय मेला	—	15	35
गुड़ एवं संक्रान्ति मेला 2021	6 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक (6 दिवस)	क्षेत्रीय मेला	—	12	42
रीजनल सरस मेला (प्रस्तावित)	10 से 22.02.2021 तक (13 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	—	—	—

अन्य विभागों के मेले : कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेलों का आयोजन नहीं हुआ है।

उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भोपाल हाट परिसर में 02 विभागीय मेलों एवं 01 रीजनल सरस मेला 2020-21 में विभागीय प्रस्तावित है।



दिनांक 9 नवम्बर 2020 को

भोपाल हाट की वेबसाइट bhopalhaat.org का
विमोचन माननीय श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
द्वारा किया गया ।



महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान—म.प्र.

अधारताल, जबलपुर

विकास के इस दौर में निरंतर हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया हो गई है। समय-समय पर प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को नवीन सूचनाओं से अद्यतन कराने की आवश्यकता होती है। इसी अनुक्रम में संस्थान को त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का दायित्व भी सौंपा गया है।

पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भारत शासन के द्वारा प्रदेश में वर्ष 1987 में “राज्य ग्रामीण विकास संस्थान” की स्थापना की गई। आचार्य विनोबा भावे द्वारा देय नाम “मध्यप्रदेश की संस्कारधानी” जबलपुर में पूर्व से ही पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित था, जो कि भारत शासन द्वारा 1967 में राज्य शासन को हस्तांतरित किया गया था। यह केन्द्र तत्समय पंचायतराज एवं सामुदायिक विकास से जुड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण दायित्व का निर्वाह करता था। विद्यमान अधोसंरचना एवं व्यवस्थाओं का त्वरित उपयोग करने की दृष्टि से राज्य शासन ने इस केन्द्र का 1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में उन्नयन किया एवं यह संस्थान पूरे प्रदेश के लिए पंचायतराज के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक चिन्हित संस्थान के रूप में कार्य करने लगा।

प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य दायित्व उपलब्ध मानव संसाधन को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध उत्कृष्ट कार्य संस्कृति निर्मित करने की दिशा में प्रयास करने का होता है तथा प्रतिनिधियों को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में निखार लाने हेतु संचालित गतिविधियों का निर्माण करना होता है। अतः शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देना आवश्यक है। इस दृष्टि से वर्ष 1996 में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्तशासी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी। इसी प्रकार महात्मा गांधी के 125 वीं जयंती पर संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी जी के नाम पर किया गया एवं वर्ष 2016 में भारत शासन के निर्देशानुसार संस्थान का नाम परिवर्तित कर “महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान” किया गया।

स्वायत्तशासी व्यवस्था के अंतर्गत संस्था का नियंत्रण माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित “शासक मंडल” के द्वारा किया जाता है। शासक मंडल में ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, महिला बाल विकास आदि विभिन्न विभागों के सचिवों, पंचायतराज संस्थाओं के जिला एवं जनपद स्तर के जन प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थान की गतिविधियों को अकादमिक के साथ-साथ मैदानी वास्तविकताओं को जोड़कर प्रशिक्षणों को आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सके। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मार्गदर्शन नियंत्रण, पर्यवेक्षण हेतु “कार्यकारिणी समिति” गठित है, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं। संस्थान के संचालक, कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव है।

प्रशासनिक संरचना :-

संस्थान के नवीन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु व कार्यालयीन कार्य संचालन, प्रशिक्षण, शोध व अनुसंधान की गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व संस्थान के संचालक का होता है, जो कि संस्था प्रमुख के रूप

में कार्य करते हैं। संस्थान में संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिकीय एवं अलिपिकीय वर्ग के पद सृजित हैं। संस्थान में शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
	(1) प्रशासनिक			
1	संचालक	1	1	0
2	अतिरिक्त संचालक	2	0	2
3	संयुक्त संचालक	1	1	0
4	उप संचालक	3	3	0
5	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	4	4	0
7	अधीक्षक	2	2	0
	(2) प्रशिक्षण			
8	प्रोफेसर रूरल प्लानिंग/मैनेजमेंट	2	1	1
9	अनुदेशक	2	1	1
10	अनुसंधान सहायक	2	2	0
11	संकाय सदस्य (भारत शासन कोर फैकल्टी)	7	2	5
	(3) सहयोगी कार्मिक			
12	लिपिक वर्गीय	20	13	7
13	अलिपिक वर्गीय	4	4	0
14	रसोईया/भृत्य/माली/दफ्तरी/चौकीदार/फर्राश	30	17	13
15	वाहन चालक	3	3	0
16	सफाई कर्मी	4	2	2
	योग	88	56	32

संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संरचना को युक्तियुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

अधोसंरचना :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, म.प्र. का नवीन प्रशासनिक भवन 1987 में निर्मित किया गया। इसके पश्चात् प्रशासनिक भवन का विस्तार करते हुए ग्रंथालय भवन, 03 प्रशिक्षण कक्ष एवं कम्प्यूटर लैब निर्मित कराया गया। इस प्रकार वर्तमान में संस्थान में कुल 06 व्याख्यान कक्ष एवं एक संगोष्ठी कक्ष उपलब्ध है। संस्थान के प्रशिक्षण कक्षों में दृश्य श्रव्य उपकरण लगाए गए हैं। संस्थान में 110 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त वातानुकूलित ऑडिटोरियम उपलब्ध है, जिसका उपयोग संस्थान में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में किया जाता है।

छात्रावास व्यवस्था :-

संस्थान में प्रतिभागियों के ठहरने हेतु “संस्कार” छात्रावास है, जिसमें 32 कक्ष एवं 4 कक्षों की डॉरमेटरी है। उक्त छात्रावास में 60 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त एक पुराना छात्रावास है जिसमें 16 कक्ष हैं, जिसमें 32 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है। संस्थान में अतिथियों हेतु 10 कक्षों का वातानुकूलित अतिथि गृह है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में 76 प्रतिभागियों के ठहरने हेतु नवीन छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार संस्थान में एक समय में 168 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है।

“महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, करमेता परिसर भाग-2” का निर्माण:-

संस्थान के परिसर में अधोसंरचनाओं की अधिकता तथा संस्थान की भविष्य में बढ़ती क्षमतावर्धन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि आवश्यक अधोसंरचनायें अन्य परिसर का चयन कर वहां विकसित की जावे। इसी अनुक्रम में वर्तमान परिसर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर शासन द्वारा जबलपुर के “महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, करमेता परिसर भाग-2” के लिए आवंटित भूमि पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।

परिवहन :-

परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्षेत्र में भ्रमण के लिए एवं संस्थान के प्रतिभागियों के आवागमन एवं क्षेत्रीय भ्रमण के लिए संस्थान के पास वर्तमान में 1 स्कार्पियो, 1 बोलेरो, 1 टाटा मैजिक उपलब्ध है। इनका उपयोग अतिथि वक्ताओं के आवागमन, दूरस्थ प्रशिक्षणों एवं संस्थान की अन्य परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिवहन व्यवस्था के लिए किराये पर भी वाहन लिये जाते हैं।

प्रशिक्षण के लिए संकाय :-

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक संरचना में प्रशिक्षण के लिए 2 प्रोफेसर, 2 अनुसंधान सहायक एवं 2 अनुदेशक के पद सृजित किये गए हैं। भारत शासन द्वारा प्रशिक्षण में सहयोग, विशेषज्ञता एवं उत्कृष्टता के लिए पंचायतराज, ग्रामीण विकास वॉटरशेड प्रबंधन आदि विषयों के लिए दसवीं योजना हेतु 7 संकाय सदस्य शत प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृत हैं। इनकी पूर्ति संविदा, प्रतिनियुक्ति अथवा कन्सल्टेंसी के आधार पर की जाती है। भारत शासन के इन पदों के विरुद्ध 02 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग की 01 मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिसमें 03 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इसी प्रकार संस्थान में आर.जी.एस.ए योजनांतर्गत 02 कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स, 02 संकाय सदस्य एवं 01 लेखापाल एवं मनरेगा योजनांतर्गत 01 संकाय सदस्य कार्यरत हैं।

पुस्तकालय :-

प्रशिक्षार्थियों एवं संकाय सदस्यों के ज्ञान एवं जानकारी को समृद्ध करने एवं अद्यतन रखने की दृष्टि से किसी भी संस्थान में पुस्तकालय अनिवार्य अंग होता है। इस दृष्टि से संस्थान में पुस्तकालय का एक अलग खंड निर्मित है। यद्यपि यह खंड बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है किन्तु संस्थान में उपलब्ध सीमित स्थान में ही वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। पुस्तकालय में वर्तमान में लगभग 16077

पुस्तकें विभिन्न विषयों यथा— ग्रामीण विकास, पंचायत एवं समाज कल्याण, सामुदायिक विकास, प्रबंधन, जेण्डर, समाज विज्ञान राजनीति विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, इतिहास, बाल विकास, पोषण, वॉटरशेड, इंजीनियरिंग एवं साहित्य की है। संस्थान के ग्रंथालय को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु एनआईसी दिल्ली द्वारा विकसित ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर प्राप्त कर पुस्तकों को कम्प्यूटर में फीड कर बार कोडिंग का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में 8 दैनिक समाचार पत्र, 2 साप्ताहिक समाचार पत्र, 13 जर्नल व 23 साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रति माह मंगाई जाती हैं। संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त अध्येताओं एवं शोध कर्त्ताओं के लिए शुल्क के साथ पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि पुस्तकालय में संग्रहित ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

कम्प्यूटर एवं मल्टीमीडिया :-

संस्थान में कम्प्यूटर विषय पर बेसिक एवं विभिन्न एप्लीकेशन आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पृथक से कम्प्यूटर लैब है, जिसमें 20 कम्प्यूटर लगाए गए हैं। सभी कम्प्यूटर को LAN से जोड़ा गया है। कम्प्यूटर्स का उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ संकाय सदस्यों द्वारा पाठ्य सामग्री बनाने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर लैब को और अधिक आधुनिक बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। संस्थान में लीज लाईन इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान के कम्प्यूटर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑनलाइन यू पी एस स्थापित कराये जा रहे हैं। संस्थान परिसर में वाय फाई की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रशिक्षण कक्षों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत 5 केयान (K-YAN) प्रोजेक्टर प्रशिक्षण कक्षों में स्थापित की गई हैं। प्रोजेक्टर में कम्प्यूटर साउंड बाक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पेन की सुविधा भी है, जिससे स्क्रीन पर प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा लिखा जा सकता है एवं लिखे हुए टेक्स्ट को सेव भी किया जा सकता है। संस्थान के डाटा को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से शासक मंडल के निर्णयानुसार आधुनिक ऑनलाइन इन्वरटर स्थापित कराए गए हैं।

संस्थान वित्त पोषण :-

स्वायत्तशासी होने के उपरांत संस्थान को राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2020-21 में राज्य शासन द्वारा 100.60 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध 83.16 लाख प्राप्त हुआ है। कुल आवर्ती व्यय के लगभग 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत शासन द्वारा की जाती है। संस्थान के लिए 2 संकाय सदस्यों के वेतन की शत-प्रतिशत पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2020-21 में संस्थान द्वारा भारत शासन को आवर्ती मद में रु. 401.07 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसके विरुद्ध भारत शासन द्वारा प्रथम किश्त की प्राप्ति नहीं हुई है। अनुदान के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आवश्यक अधोसंरचना को विभिन्न संस्थाओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराकर भी राशि अर्जित करता है, जिससे संस्थान के संधारण संबंधी अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

ईटीसी वित्त पोषण :-

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों का भी राज्य शासन व भारत शासन से वित्त पोषण की व्यवस्था है। राज्य शासन से वर्ष 2020-21 में 320.00 लाख स्वीकृत किया गया है। जिसके विरुद्ध राशि रु0 429.38 व्यय हुआ। भारत शासन से रु0 20.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से निश्चित अनुदान प्राप्त होता है। जिसके विरुद्ध केवल ईटीसी उज्जैन को राशि 5 लाख प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अधोसंरचना के उपयोग के माध्यम से भी कुछ राशि अर्जित करते हैं जिसका उपयोग अधोसंरचना के विकास एवं संधारण आदि के लिए किया जाता है। संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्र अपनी अधोसंरचना के विकास के लिए पूरी तरह से भारत शासन की सहायता पर निर्भर है। अनावर्ती व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति भारत

शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है। अनावर्ती व्यय के अंतर्गत संस्थान की अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

क्षेत्रीय संरचनाएँ :-

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान को संपूर्ण प्रदेश का उत्तरदायित्व दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के जिला, जनपद एवं मैदानी स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण एक केन्द्रीकृत व्यवस्था से संभव नहीं था, अतः प्रदेश के 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सिवनी, उज्जैन एवं नौगांव (जिला छतरपुर) का नियंत्रण एवं समन्वय, पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संस्थान को दिया गया है। इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का भौगोलिक क्षेत्र अनुमानतः 50-60 जनपदों तक विस्तारित है, इन जनपद पंचायतों के अंतर्गत पंचायतराज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्र पर है। इन सभी 6 केन्द्रों के अपने स्वतंत्र परिसर हैं। जिनमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास की सुविधाएं, भारत शासन के सहयोग से निर्मित की गयी हैं। प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं नौगांव (छतरपुर) में कर्मचारियों के लिए आवास गृह भी उपलब्ध है। सिवनी प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रशिक्षण गतिविधियां :-

1. “सबकी योजना सबका विकास” जन योजना अभियान (PPC)

भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा “सबकी योजना सबका विकास” (2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक) जन योजना अभियान अंतर्गत “ग्राम पंचायत विकास योजना 2021-22” तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 22811 ग्राम पंचायतों का मिशन अन्त्योदय एप के माध्यम से सर्वे एवं रैंकिंग की जाकर पंचायतीराज संस्थाओं एवं संबंधित लाईन विभागों के समन्वय से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिये जन योजना अभियान चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षित राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया।

1.1 राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण :-

जनपद स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देने हेतु संस्थान एवं अनुषांगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के 60 संकाय सदस्यों एवं प्रोग्रामर्स को राष्ट्रीय स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम वेबीनार के माध्यम संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये गये।

1.2 जनपद स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण :-

जन योजना अभियान अंतर्गत “ग्राम पंचायत विकास योजना 2021-22” तैयार करने के उद्देश्य से संस्थान के प्रशिक्षित संकाय सदस्यों एवं प्रोग्रामर्स (राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स) द्वारा ग्राम पंचायत फेसीलिटेटर, फेसीलिटेटर टीम को जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक जनपद पंचायत से 3 मास्टर ट्रेनर्स को संस्थान द्वारा 1 दिवसीय वेबीनार के माध्यम से जनपद स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 1308 जनपद स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये गये।

1.3 जनपद स्तरीय जीपीडीपी अनुदेशक का प्रशिक्षण :-

जन योजना अभियान अंतर्गत “ग्राम पंचायत विकास योजना 2021-22” तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद पंचायत से 10 जीपीडीपी अनुदेशकों को संस्थान एवं अनुषांगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संकाय सदस्यों एवं प्रोग्रामर्स (राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स) द्वारा 1 दिवसीय वेबीनार के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 3121 जीपीडीपी अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया। जीपीडीपी अनुदेशक ग्राम पंचायत फेसीलिटेटर टीम को सहयोग करने हेतु होंगे।

1.4 जनपद पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी) एवं जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण-

जनपद पंचायत विकास योजना (BPDP) एवं जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार करने हेतु जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया गया। जिसमें जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के शासकीय सेवकों को जिला स्तरीय प्रशिक्षक दल (DLTT) के रूप में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में 978 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2. अन्य प्रशिक्षण गतिविधियां

संस्थान द्वारा अन्य विषयों पर निम्न प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की गई-

2.1 “जेण्डर आधारित हिंसा” विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण:-

जेण्डर के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रशिक्षण में सम्मिलित विषयों में जेण्डर विषय को प्रभावी रूप से शामिल कराने के उद्देश्य से “जेण्डर आधारित हिंसा” विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्था समर्थन भोपाल के सहयोग से आयोजित किया गया। जिसमें संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ पदाधिकारी/संकाय सदस्य एवं प्रोग्रामर्स कुल 62 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2.2 “जेण्डर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु पंचायतों की भूमिका” विषय पर सर्टिफाइड मास्टर रिसोर्स परसन का 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण:-

“जेण्डर आधारित हिंसा” विषय पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद द्वारा सर्टिफाइड मास्टर रिसोर्स परसन को एक दिवसीय प्रशिक्षण संस्था समर्थन भोपाल के सहयोग से आयोजित किया गया। जिसमें कुल 423 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2.3 “मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर प्रोजेक्ट” हेतु 3 दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद का ऑफ केम्पस प्रशिक्षण अंतर्गत “मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर प्रोजेक्ट” हेतु संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारीगण/संकाय सदस्य एवं प्रोग्रामर्स का 3 दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें कुल 69 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये गये।

2.4 “सतत् विकास के लक्ष्य एवं पंचायत” विषय पर 4 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से संस्थान में “सतत् विकास के लक्ष्य एवं पंचायत” विषय पर 4 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद द्वारा कुल 72 सर्टिफाइड मास्टर रिसोर्स परसन को प्रशिक्षित किया गया।

2.5 “Spatial Planning for GPDP for the State of Madhya Pradesh विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद एवं Center for Geo-Informatics Applications in Rural Development (CGARD) के सहयोग से संस्थान में “Spatial Planning for GPDP for the State of Madhya Pradesh विषय पर 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में संस्थान एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारीगण/संकाय सदस्य तथा प्रोग्रामर के साथ-साथ प्रदेश की सभी जिला पंचायतों से एक-एक अधिकारी/शासकीय सेवकों सहित कुल 118 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

2.6 “महिला पंचायतराज पदाधिकारियों की पंचायतीराज सुशासन में क्षमतावृद्धि” विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:-

संस्थान एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारीगण/ संकाय सदस्य तथा प्रोग्रामर का “महिला पंचायतराज पदाधिकारियों की पंचायतीराज सुशासन में क्षमतावृद्धि” विषय पर 04 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें कुल 71 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये गये।

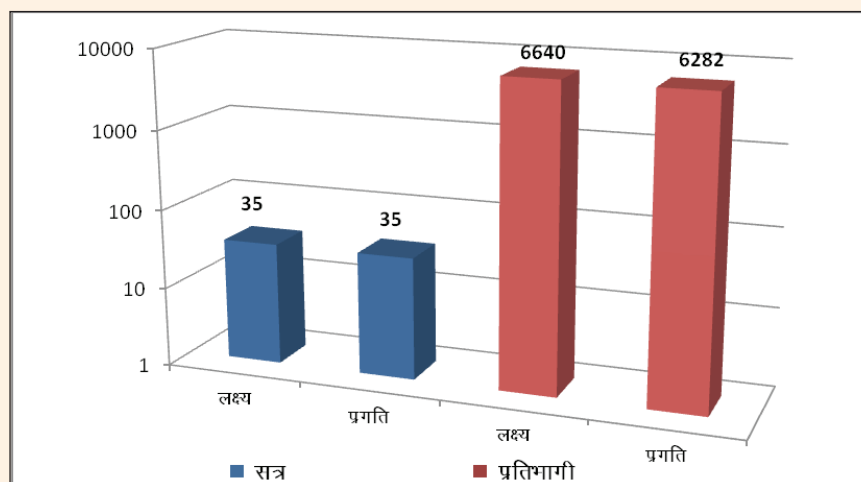
वर्ष 2020-21 में आयोजित प्रशिक्षण :-

संस्थान द्वारा वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक 35 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 6282 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

माह अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 (2020-21)							
क.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस
1	“जेण्डर आधारित हिंसा” विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण	1	75	4	1	62	248
2	“मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर प्रोजेक्ट” हेतु 3 दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	1	75	3	1	69	207
3	“सतत विकास के लक्ष्य एवं पंचायत” विषय पर 4 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण	1	75	4	1	72	288
4	“Spatial Planning for GPDP” विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण	1	100	5	1	118	590
5	राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	1	51	1	1	60	60
6	जनपद स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	6	1335	1	6	1308	1308
7	जनपद स्तरीय ग्राम पंचायत जीपीडीपी अनुदेशक का प्रशिक्षण	15	3130	1	15	3121	3121

माह अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 (2020-21)							
क्र.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस
8	जनपद पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी) एवं जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण	4	1040	3	4	978	2934
9	“जेण्डर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु पंचायतों की भूमिका” विषय पर सर्टिफाइड मास्टर रिसोर्स पर्सन का 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण	4	684	1	4	423	423
10	“महिला पंचायतराज पदाधिकारियों की पंचायतीराज सुशासन में क्षमतावृद्धि” विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	75	4	1	71	284
योग		35	6640	.	35	6282	9463

संस्थावार प्रशिक्षण सत्रों का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्रों का विवरण



प्रयास का एक दशक :-

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन निरंतर प्रदान किया जाता है। जिसके फलस्वरूप संस्थान/केन्द्रों की प्रशिक्षण गतिविधियों में वृद्धि हुई है। वर्तमान में संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान द्वारा किए गए प्रयास निम्न सारणी में परिलक्षित होते हैं –

वर्ष	संस्थान		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
	सत्र	प्रतिभागी	सत्र	प्रतिभागी
2006-07	274	10688	787	51498
2007-08	259	9658	1061	56952
2008-09	1580	99999	1022	50003
2009-10	2583	153861	1035	38184
2010-11	245	9211	1233	47045
2011-12	2184	299165	1194	57759
2012-13	5229	238020	1093	51771
2013-14	8927	371747	752	32199
2014-15	440	17083	301	13167
2015-16	249	7026	263	11024
2016-17	80	2479	425	15582
2017-18	360	10968	197	7262
2018-19	3626	164755	308	8330
2019-20	1981	94242	242	9428
2020-21	35	6282	—	—

शोध और अध्ययन :-

संस्थान एवं सभी 06 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ संकाय सदस्यों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे— मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण आदि विषयों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं।

पाठ्य सामग्री का सृजन एवं प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न विषयों कमशः स्व-सहायता समूह, पंचायतराज, ग्राम पंचायत विकास योजना, बाल उत्प्रेरण, प्रशिक्षण प्रबंधन एवं तकनीक, विकेन्द्रित नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था अध्ययन, महिला एवं बाल विकास और जेंडर एवं प्रजनन स्वास्थ्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि से संबंधित लगभग 85 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।

मासिक पत्रिका “पहल” का प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा मासिक ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट पर किया जाता है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्य, नवाचार, सफलता की कहानियां, वर्तमान गतिविधियां एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के संबंध में आलेख प्रकाशित किये जाते हैं साथ ही साथ संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण, बैठकें, सेमीनार, कार्यशालाओं से संबंधित जानकारियों का भी उल्लेख पत्रिका में किया जाता है।

इस ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन बिना किसी व्यय के किया जाता है तथा भविष्य में पंचायत दर्पण पोर्टल से लिंक किया जायेगा, जिससे पंचायतराज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी लाभान्वित हो सकें।

भविष्य की परिकल्पना :-

संस्थान को प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गतिविधियों के संचालन में उत्तरोत्तर उपलब्धि प्राप्त हो रही है। संस्थान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त योजनाओं से संबंधित विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिनके निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन के सुझाव शासन की ओर प्रेषित किये जाते हैं।

संस्थान द्वारा विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से निरंतर संपर्क कर प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के परिणाम परिलक्षित हुए हैं। आगामी वर्ष में भी संस्थान प्रशिक्षण के साथ-साथ शोध एवं प्रशिक्षण से जुड़े नवाचारों के आधार पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।



संस्थान की मासिक ई-न्यूज़ पत्रिका "पहल"

- कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए संस्थान की मासिक ई-न्यूज़ पत्रिका "पहल" में आलखो का शामिल करते हुए पत्रिका का प्रकाशन किया गया एवं पत्रिका को ई-मेल एवं वाट्सएप के माध्यम से प्रदेश की समस्त 52 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में भेजा गया।
- मासिक पत्रिका "पहल" के मार्च, अप्रैल, मई एवं जून के संस्करण में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी एवं जागरूकता हेतु विभिन्न आलेखों का प्रकाशन किया गया।
- इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. भोपाल से समन्वय कर प्रदेश की समस्त 22812 ग्राम पंचायतों की ई-मेल आईडी का गुप निर्मित करने हेतु लेख किया गया है उपरोक्त गुप के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण सामग्री, मासिक पत्रिका "पहल", एवं शासन द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देश आदि को भेजने की कार्यवाही की जावेगी।

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल

परिचय:—

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल की स्थापना वर्ष 1984 में आयाकट विभाग के अधीन यूनाईटेड स्टेट एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट (USAID) की सहायता से हुई जो म.प्र. सोसायटीज् पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिनांक 31.08.1985 को क्र. 15463 पर पंजीकृत है। यूनाईटेड स्टेट एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट (USAID) की सहायता वर्ष 1993 तक रही। वर्ष 1998 में संस्थान ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित हुआ। संस्थान में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्यशालाएँ, सेमीनार, परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा अन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। संस्थान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी लिंकेज किये जाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर संस्थान के रूप में विकसित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।



वर्ष 2014 में संस्थान की पुनर्संरचना की गई जो इस प्रकार है :-

1. शासी निकाय (Governing Body)

- | | |
|--|--------------|
| • मुख्य सचिव | — अध्यक्ष |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग | — सदस्य |
| • कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. | — सदस्य |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख सचिव, उद्यानिकी विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन विभाग | — सदस्य |
| • संचालक, वाल्मी | — सदस्य सचिव |

2. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) :

- | | |
|--|-----------|
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग | — अध्यक्ष |
| • प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| • सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |

• प्रमुख सचिव/सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	— सदस्य
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीआरआरडीए	— सदस्य
• संचालक, रा.गां. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन/मुख्य कार्यपालन अधिकारी—एस.एल.एन.ए.—एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	— सदस्य
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	— सदस्य
• परियोजना संचालक, विश्वबैंक परियोजनायें जलसंसाधन विभाग	— सदस्य
• प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— सदस्य
• आयुक्त, सैच्य क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग	— सदस्य
• संचालक, उद्यानिकी	— सदस्य
• संचालक, मत्स्य पालन	— सदस्य
• संचालक, वाल्मी	— सदस्य सचिव

उद्देश्य :-

- (1) विज्ञान एवं तकनीकी का प्रचार प्रसार तथा तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करना।
- (2) सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भूमि विकास एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं विविध पहलुओं पर प्रयोग संचालित करना तथा समान उद्देश्यों वाले संगठनों से समन्वय करना।
- (3) सिंचाई प्रबंधन योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण संचालित करना।
- (4) ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन योजनाओं से संबंधित सामाजिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- (5) ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों में संलग्न कर्मचारियों के लिए विशेष क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- (6) सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अंकेक्षण एवं मूल्यांकन।
- (7) सिंचाई प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में शासन एवं स्थानीय निकाय व अन्य संगठनों को सलाहकारिता सेवा प्रदाय करना।
- (8) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, शोध, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग और प्रभावों का अंकेक्षण तथा मूल्यांकन करना।

कार्यक्षेत्र:-

- प्रशिक्षण
- अनुसंधान
- परामर्श एवं सलाहकारिता कार्य
- विस्तार एवं तकनीकी का अंतरण
- व्यावहारिक अध्ययन तथा मूल्यांकन कार्य

मानव संसाधन संरचना:-

कार्यालय:-

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
संचालक	01	01	—
प्रशासकीय अधिकारी	01	01	—
लायब्रेरियन	01	—	01
उपायुक्त	01	01	—
लेखाधिकारी	01	01	—
सहायक यंत्री	01	01	—
अनुभाग अधिकारी	01	—	01
उपयंत्री	08	06*	02
सहायक मानचित्रकार	01	—	01
कम्प्यूटर ऑप./प्रोग्राम असिस्टेंट	03	02	01
प्रेक्षक	01	01	—
केटरिंग मैनेजर	01	01	—
तकनीकी सहायक	04	03	01
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	01	01	—
ग्राफिक आर्टिस्ट	01	01	—
प्रयोगशाला तकनीशियन	02	02	—
समयपाल	02	02	—
कुक	02	02	—
वाहन चालक	06	05	01
वरिष्ठ कार्यालय सहायक	02	02	—
सहायक वर्ग-2	06	06	—
वरिष्ठ लेखा लिपिक	01	—	01
शीघ्रलेखक-2	01	01	—
शीघ्रलेखक-3	01	—	01
सहायक वर्ग-3	12	10**	02
केटलॉग इन्डेक्स क्लासीफायर	01	01	—
इलेक्ट्रिकल वायरमेन	01	—	01
पंप अटेंडेंट	01	—	01
दफ्तरी	01	01	—
वाटरमेन	01	01	—
भृत्य	17	15	02
सफाईकर्मी	04	03	01

*उपयंत्री के भरे 06 पदों में से 02 उपयंत्री प्रतिनियुक्ति पर संस्थान से बाहर पदस्थ हैं।

**सहायक वर्ग -तीन के भरे 10 पदों में से 01 सहायक प्रतिनियुक्ति पर संस्थान से बाहर पदस्थ है।

संकाय:-

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
डीन	02	—	02
प्राध्यापक	07	—	07
सह-प्राध्यापक	18	02	16
सहायक प्राध्यापक	18	—	18
शोध सहभागी	14	—	14
इंटरन	14	—	14

भौतिक उपलब्धियां :

संस्थान द्वारा विगत वर्ष में की गई विभिन्न गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

कृषि संकाय द्वारा वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 तक संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

स. क.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानव दिवस
1	प्रथम बार पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों का ऑनलाईन प्रशिक्षण	07, 08, 09 एवं 14 सितम्बर, 2020	4	20	80
2	“युवा सलाहकारों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम”	22-24 अक्टूबर, 2020	3	12	36
3	“आदर्श सी.एल.एफ. के अध्यक्ष और सक्रिय सदस्यों के लिये आजीविका विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम”	28-29 अक्टूबर, 2020	2	58	116
4	“आदर्श सी.एल.एफ. के अध्यक्ष और सक्रिय सदस्यों के लिये आजीविका विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम”	02-03 नवम्बर, 2020	2	59	118
5	“आदर्श सी.एल.एफ. के अध्यक्ष और सक्रिय सदस्यों के लिये आजीविका विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम”	06-07 नवम्बर, 2020	2	57	114
6	स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम	04-07 नवम्बर, 2020	4	.	18000
7	“आदर्श सी.एल.एफ. के अध्यक्ष और सक्रिय सदस्यों के लिये आजीविका विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम”	09-10 नवम्बर, 2020	2	48	96
8	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत “मास्टर ट्रेनर्स” प्रशिक्षण कार्यक्रम	19-20 नवम्बर, 2020	2	28	56

स. क.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानव दिवस
9	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत "मास्टर ट्रेनर्स" प्रशिक्षण कार्यक्रम	23-24 नवम्बर, 2020	2	20	40
10	एस.आर.एल.एम. — कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम	24-25 नवम्बर, 2020	2	48	96
11	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत "मास्टर ट्रेनर्स" प्रशिक्षण कार्यक्रम	25-26 नवम्बर, 2020	2	20	40
12	सूक्ष्म वित्त हेतु वित्तीय समावेशन	27-28 नवम्बर, 2020	2	43	86
13	एक्सपोजर विजिट एट वाल्मी नाबार्ड	01 दिसम्बर, 2020	1	29	29
14	प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम — उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	09-10 दिसम्बर, 2020	2	20	40
15	महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र परियोजना प्रशिक्षण	11 दिसम्बर, 2020	1	42	42
16	जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन विषय पर तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	14-16 दिसम्बर, 2020	3	17	51
17	ग्राम स्तरीय जलग्रहण समिति के सदस्यों का जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	14-16 दिसम्बर, 2020	3	34	102
18	आनंदी संस्था द्वारा संचालित जेंडर समानता और महिला मानव अधिकार — समता समन्वयक प्रशिक्षण	15-21 दिसम्बर, 2020	7	65	455
19	लोक अधिकार कार्यक्रम और महिला संगठन सक्षमीकरण राज्य स्तरीय कार्यशाला	20-21 दिसम्बर, 2020	2	38	76
20	पंचायती राज मिशन अन्त्योदय सबकी योजना सबकी विकास	22 दिसम्बर, 2020	1	20	20
21	नाबार्ड	22-23 दिसम्बर, 2020	2	20	40
22	किसान दिवस उत्सव कार्यक्रम एवं अवार्ड फंक्शन	28 एवं 29 दिसम्बर, 2020	2	60	60
23	एसआरएलएम बुक कीपिंग	02-12 जनवरी, 2021	11	40	440
24	मकर संक्रांति समारोह	12 जनवरी, 2021	1	114	114
25	एसआरएलएम आवासीय समीक्षा बैठक	15-16 जनवरी, 2021	2	74	148
26	स्टेट मास्टर बुक कीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम	18-27 जनवरी, 2021	10	39	390

स. क.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानव दिवस
27	उन्नत पशुपालन प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	18-20 जनवरी, 2021	3	47	141
28	जेण्डर समानता अन्तर्गत महिला और संगठन सक्षमीकरण" जेंडर जस्टिस प्रशिक्षण कार्यक्रम	19-20 जनवरी, 2021	2	41	82
29	निदेशक मंडल और स्टाफ" प्रशिक्षण कार्यक्रम	20-21 जनवरी, 2021	2	28	56
30	मिशन कार्यालय एवं सामुदायिक उपार्जन प्रकिया	22 जनवरी, 2021	1	51	51
	कुल			1172	21135

जल संसाधन प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संकाय द्वारा वर्ष 2020-21 में (अप्रैल 2020 से जनवरी 2021) विभिन्न विभागों हेतु आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	विभाग	प्रशि. दिवस	प्रशि. की संख्या	मानव दिवस
1	ऑनलाइन जलमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.06.2020 से 26.06.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	05	34	170
2	ऑनलाइन जलमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.06.2020 से 03.07.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	05	35	175
3	ऑनलाइन जलमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	06.07.2020 से 10.07.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	05	36	180
4	ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन फंडामेंटल ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी एण्ड इट्स एप्लीकेशन यूजिंग ओपन सोर्स साफ्टवेयर	10.08.2020 से 14.08.2020	म. प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड	05	11	55
5	Online workshop on " Role and prospect for District mineral foundations in the state development"	19.09.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	01	70	70
6	ऑन लाइन जल मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	04.11.2020 से 09.11.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	05	19	95
7	जी.डी.एम. राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	23.12.2020 से 24.12.2020	स्वास्थ्य विभाग	02	25	50

वित्तीय उपलब्धियां

संस्थान को वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 की अद्यतन स्थिति में प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. सहायता अनुदान मद	—	रु. 581.96 लाख
2. प्रशिक्षण मद	—	रु. 183.22 लाख
योग	—	रु. 765.18 लाख

विशेष उपलब्धियां :

संस्थान की विशेष गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

- **नेनो वाटरशेड आधारित विकास :**

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल वाल्मी द्वारा 30 हेक्टेयर प्रदर्शन प्रक्षेत्र जो बंजर भूमि की श्रेणी में आता है, में एक मॉडल प्रोजेक्ट विकसित किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में बंजर भूमि के विकास हेतु जलग्रहण क्षेत्र विकास तकनीकी के आधार पर विभिन्न मिट्टी व जल संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं उपयोग की विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाकर भूमि को उत्पादन योग्य बनाया गया है। प्रक्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों से आने वाले अपवाहित जल जो मिट्टी का क्षरण करता था, को सुरक्षित निकासी प्रदाय करते हुये विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएँ जैसे कंटूर ट्रैन्चेस, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स, सेंड बेग स्ट्रक्चर, गली प्लग, गेबियन संरचना, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक इत्यादि निर्मित की गई है।

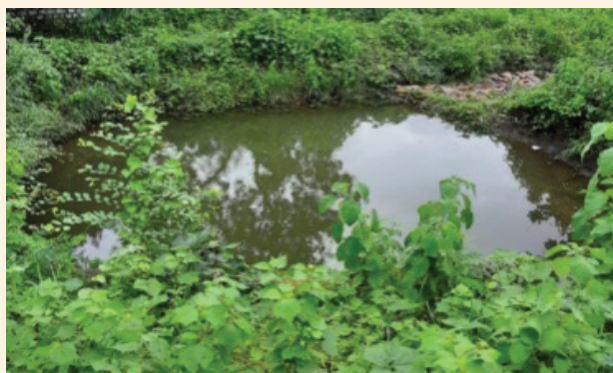
- **देशी प्रजातियों का वृक्षारोपण कार्यक्रम :**

संस्थान द्वारा वाल्मी स्थित प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर देशी प्रजातियों का पौधारोपण कार्यक्रम सम्पादित किया गया, जिसमें आम, आंवला, बेर, अमरुद, अनार जैसे पौधों का पौधारोपण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।



- **तालाब निर्माण :**

वाल्मी स्थित प्रदर्शन प्रक्षेत्र में भूजल जलग्रहण क्षेत्र विकास हेतु 03 तालाबों का निर्माण एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें समस्त पहाड़ी क्षेत्र का पानी एकत्र होकर भूगर्भ जल में वृद्धि करता है। जिसका प्रभाव प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर स्थित नलकूपों में देखा गया है।



- **ट्रेकिंग हेतु रास्ता निर्माण :**

प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर भ्रमण करने हेतु आने वाले दर्शकों के लिये रास्ते का निर्माण किया गया है जिससे प्राकृतिक सौन्दर्य एवं प्रक्षेत्र पर किये गये विकास कार्यों का अवलोकन किया जा सकता है।



- **समग्र विकास की कार्ययोजना (डी.पी.आर.) :**

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान स्थित प्रदर्शन प्रक्षेत्र जो कि 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है, के समग्र विकास के बिन्दु तैयार करते हुये कार्ययोजना का निर्माण प्रगति पर है जिससे प्रदर्शन प्रक्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाये।

स. सलाहकारिता सेवाएँ – वाल्मीकी विधि से सघन वनीकरण :

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य का अग्रणी संस्थान है। पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इस दिशा में विभिन्न प्रयास किये गये हैं। सघन वनीकरण वाल्मीकी विधि से कम लागत कम समय में कम स्थान पर अधिक से अधिक जंगल का विकास एक अभिनव प्रसाय सिद्ध हुआ है।

- **सतना, नगर निगम :**

सतना, नगर निगम क्षेत्र के पार्क में 500 वर्गमीटर क्षेत्र में नगर निगम के सहयोग से वाल्मीकी पद्धति द्वारा सघन वनीकरण का कार्य माह नवम्बर, 2020 में पूर्ण किया गया, जिसमे लगभग 40 प्रकार की स्थानीय देशी प्रजातियों का पौधारोपण किया गया।



- **स्वास्तिक निर्माण :**

वाल्मी स्थित प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर 500 वर्गमीटर क्षेत्र में वाल्मीकी पद्धति से सघन वनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया इसमें 42 प्रकार की प्रजातियों का रोपण वाल्मीकी पद्धति से किया गया है। जिसमें अगस्त माह में किये गये पौधारोपण पश्चात् पौधों की बढ़वार मात्र 5 माह में 6 से 10 फीट की ऊंचाई के हो गये हैं।

- **रवीन्द्र भवन, भोपाल :**

रवीन्द्र भवन, भोपाल के सामने नगर निगम, भोपाल के सहयोग से 180 वर्गमीटर क्षेत्र में वाल्मीकी पद्धति से सघन वनीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें 40 प्रकार की देशी प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण किया गया। अगस्त माह में किये गये पौधारोपण पश्चात् पौधों की बढ़वार मात्र 5 माह में 6 से 10 फीट की ऊंचाई के हो गये हैं।

- **वाटरशेड कार्य :**

माह 01 अप्रैल 2020 – 31 जनवरी 2021 तक कार्य विवरण

उपरोक्तानुसार वर्ष 2020-21 में अप्रैल माह के उपरांत वाटरशेड मूल्यांकन परियोजना अंतर्गत वर्कफेज श्रेणी के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के 17 जिलों की 83 मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रिपेरेटरी श्रेणी के वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के 38 जिलों के 119 प्रतिवेदन तैयार किए गए एवं वर्कफेज श्रेणी के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के 196 प्रतिवेदन का वेलीडेशन एवं करेक्शन किया गया। माह मार्च 2020 में 4 जिलों में मूल्यांकन हेतु भेजे गए मूल्यांकनकर्ताओं से कोविड-19 (कोरोना) के कारण मूल्यांकन कार्य छूट जाने से शेष छूटे मूल्यांकन कार्य को माह दिसम्बर 2020 में पूर्ण कराया। माह जनवरी 2021 में वर्ष 2021 की राज्य स्तरीय प्रतिवेदन तैयार किया।

द. उद्यानिकी मेन्यूअल का प्रकाशन :

संस्थान द्वारा माह दिसम्बर, 2020 में ईला अमृतम हिन्दी संस्करण का प्रकाशन कराया गया एवं संस्थान द्वारा उद्यानिकी विभाग के नवनियुक्त ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों हेतु ओरिएन्टल प्रशिक्षणों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें लगभग 500 प्रतिभागियों को 1 माही प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। प्रतिभागियों को उनके कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक तकनीकी जानकारी सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध करवाने की दृष्टि से संस्थान द्वारा उद्यानिकी विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, हरित गृह, वेल्यूएडेशन एवं प्रसंस्करण इत्यादि विषयों को समाहित कर उद्यानिकी मेन्यूअल निर्मित किया गया जिसे पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जा रहा है।

- जल संसाधन प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संकाय द्वारा जल संसाधन विभाग के स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान (SSAP) फार वाटर सेक्टर परियोजना का कार्य प्रगतिरत है।
- 01 परियोजना यथा बाणसागर, जिला शहडोल के कार्यों की रिपोर्ट प्रिंटिंग एवं बाईंडिंग का कार्य माह जून 2020 में पूर्ण हो गया है।
- सेन्टर फार एक्सीलेंस फार माईनिंग अफेक्टेड एरिया (CEMAA) के अंतर्गत बैतूल जिले में कार्य प्रगतिरत है, जिसके प्रथम चरण में जानकारी संकलन का कार्य किया जा रहा है।
- संस्थान द्वारा अपनी गतिविधियों के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार के संबंध में विभिन्न संस्थाओं से डलकिये गये। इसी श्रृंखला में ओरियेंटल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (OIST), भोपाल एवं वाल्मी के मध्य MOU किया गया।

- संस्थान द्वारा अपने नैतिक व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों में जनमानस को जिसमें खासतौर पर युवा शक्ति सम्मिलित है को जोड़ने की पहल की गई है। इसके अंतर्गत समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधियों जिसमें विशेष रूप से युवा प्रतिभागियों हेतु जल संरक्षण के व्यावहारिक पहलुओं पर 05 दिवसीय ऑनलाइन क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को जल संग्रहण के विभिन्न सिद्धांतों, तकनीकों, उपायों व संरचनाओं के निर्माण संबंधी व्यावहारिक पहलुओं की समझ विकसित कराई जाती है जिससे वे अपने आसपास के क्षेत्रों में उपयुक्त संरचनाओं के निर्माण में सहयोग देकर क्षेत्र में जल संकट को कम कर सकें। इसी क्रम में से 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।
- संस्थान द्वारा 4200 वर्ग फिट में पारंपरिक वेस्ट (प्लास्टिक की बॉटल, कांच की बॉटल, मलवा, कबाड़ इत्यादि) का उपयोग कर एक ओपन एयर थियेटर (खुला रंगमंच) तैयार किया गया है। इस ओपन एयर थियेटर में लगभग 250 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। इस मंच पर 75 से 100 कलाकार एक साथ प्रस्तुति दे सकेंगे। मुक्ताकाश मंच का शुभारंभ दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को **श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया जी**, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर कमलों द्वारा किया गया है।
- आजीविका मिशन के CRP हेतु 05 दिवसीय जल मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला माह फरवरी 2021 से आयोजित की जाना है।

[illegible]

[illegible]

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन**